

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ هُوَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عِبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ



संपादक  
शेख मुजाहिद  
अहमद

उप संपादक  
सय्यद मुहियुद्दीन  
फ़रीद



वर्ष- 10  
अंक - 51-52

मूल्य  
600 रुपए  
वार्षिक



www.akhbarbadr.in



26 जमादिउल सानी -4 रजब 1446-47 हिज्री कमरी, 25-18 फ़तह 1404 हिज्री शम्सी, 18-25 द सिम्बर 2025 ई.

## राष्ट्रीय एकता की महत्ता और बरकात इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में




MAKHZAN®  
TASAWWEER  
IMAGE LIBRARY  
53A937E4E

जलसा सालाना युके के अवसर पर वैश्विक एकता का  
आध्यात्मिक और हृदयस्पर्शी दृश्य  
सेह और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण एक हाथ में समस्त विश्व के हाथ

تمام کن بدو کے لیے  
دعاؤں کے ساتھ

ازام سید



बदर के पाठकों के लिए दुआओं के साथ

हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़

इस्लामी शिक्षाओं में राष्ट्रीय एकता का जो महत्व और बरकात वर्णन किए गए हैं, आज खिलाफत-ए-अहमदिया की छत्रछाया में जमाअत-ए-अहमदिया उसकी जीती-जागती तस्वीर है

हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ का बदर के विशेष अंक के पाठकों के लिए प्रेम से परिपूर्ण संदेश

इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में राष्ट्रीय एकता का महत्व और बरकात के लिए हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने अपना प्रेम से परिपूर्ण संदेश प्रदान फ़रमाया है वह बदर के पाठकों के लिए निम्न में है। संस्थान बदर हज़रत अमीरुल मोमेनीन का हार्दिक धन्यवादी है कि हज़रत अनवर ने अपनी अत्यधिक व्यस्तता के होते हुए बदर के पाठकों के लिए अपना संदेश प्रदान फ़रमाया है (संस्थान)

इस्लामाबाद, यू.के.

दिनांक: MA 6-11-2025

प्रिय साप्ताहिक 'बदर' कादियान के पाठकगण!

अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू

सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है कि अख़बार 'बदर' को "इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में राष्ट्रीय एकता का महत्व और बरकात" विषय पर एक विशेष अंक प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अल्लाह तआला इसे हर दृष्टि से बाबरकत करे। आमीन।

मुझसे इस विषय पर एक संदेश भेजने का अनुरोध किया गया है। मैं इस संदर्भ में कुछ बातें व्यक्त करना चाहता हूँ।

इस्लाम ने मुसलमानों को आपस में प्रेम व भाईचारे, एकता और मेल-जोल की शिक्षा दी है और आपस में मतभेद और फूट से रोका है। अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में फ़रमाता है:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी (इस्लाम) को मज़बूती से थामे रहो और बिखरो मत।" (सूर: आले-इमरान: 104)

इसी प्रकार एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला मेरी उम्मत को ज़लालत और गुमराही पर एकल नहीं करेगा। अल्लाह तआला की मदद जमाअत के साथ होती है। जो व्यक्ति जमाअत से अलग हुआ, वह अग्नि में झोंक दिया गया।" (तिर्मिज़ी, किताब अल-फितन)

यही शिक्षा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जमाअत को दी है। जैसा कि आप फ़रमाते हैं:

"सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर कैसा फ़ज़ल था और वे कितनी अधिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की आज्ञाकारिता में लीन रहने वाली कौम थे। यह सच्ची बात है कि कोई भी कौम, कौम नहीं कहला सकती और उनमें राष्ट्रीयता और एकरूपता की भावना नहीं भरी जा सकती जब तक वे आज्ञापालन के सिद्धांत को अपना न लें। और यदि मतभेद और फूट रहे तो समझ लो कि यह पतन और मंजिल से दूर होने के लक्षण हैं... अल्लाह तआला का हाथ जमाअत पर होता है। इसमें यही तो रहस्य है। अल्लाह तआला एकता को पसंद करता है और यह एकता स्थापित नहीं हो सकती जब तक आज्ञापालन न किया जाए... संक्षेप में, सहाबा जैसी स्थिति और एकता की आवश्यकता आज भी है। क्योंकि अल्लाह तआला ने इस जमाअत को, जो मसीह मौऊद के हाथ से तैयार हो रही है, उसी जमाअत के साथ सम्मिलित किया है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने तैयार किया था। और चूँकि जमाअत की उन्नति ऐसे ही लोगों के आदर्शों से होती है, इसलिए तुम जो मसीह मौऊद की जमाअत कहलाकर सहाबा की जमाअत से मिलने की इच्छा रखते हो, अपने भीतर सहाबा का रंग पैदा करो। आज्ञापालन हो तो वैसा ही हो, आपस में प्रेम और भाईचारा हो तो वैसा ही हो। संक्षेप में, हर रंग में हर स्थिति में तुम वही स्वरूप अपनाओ जो सहाबा का था।" (तफ़सीर-ए-हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, भाग तीन, पृष्ठ 317 से 319)

इसी प्रकार आप फ़रमाते हैं:

"अल्लाह तआला चाहता है कि इन सभी आत्माओं को, जो धरती की विभिन्न बस्तियों में बसी हुई हैं, चाहे यूरोप हो या एशिया, उन सभी को जो अच्छी प्रकृति रखते हैं, एकेश्वरवाद की ओर खींचे और अपने प्रियों को एक ही धर्म पर एकत्र कर दे। यही अल्लाह तआला का उद्देश्य है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया हूँ।" (अल्-वसीयत, रूहानी खज़ायन, खंड 20, पृष्ठ 306 से 307)

अतः हमारा उद्देश्य और लक्ष्य तो यही है कि दुनिया अपने रचयिता को पहचाने और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के झंडे तले एकत्र हो जाए।

अल्लाह तआला के अनुग्रह से एकता आज केवल और केवल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वस्सलाम की जमाअत का विशेष गुण है। बाकी सभी बिखराव का शिकार हैं और रहेंगे जब तक वे अल्लाह तआला के इस अनुपम उपहार की कद्र नहीं करेंगे। अतः हम भाग्यशाली हैं कि खिलाफत के बरकात से प्रगति के मार्गों पर अग्रसर हैं और संपूर्ण विश्व में इस्लाम का झंडा फहराते चले जा रहे हैं। अल्लाह तआला चाहता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की प्यारी जमाअत एक मुट्ठी की तरह एकजुट रहे। अतः एम.टी.ए. की वह अनुकंपा जो अल्लाह तआला ने हमें प्रदान की है, उसने जमाअत में एकता और खिलाफत से संबंध को और भी दृढ़ कर दिया है। हम देखते हैं कि एम.टी.ए. पर जब खलीफ़ा-ए-वक़्त के जुमे के खुतबे और भाषण प्रसारित होते हैं तो सारी दुनिया में फैले हर देश व कौम और हर रंग व नस्ल के अहमदी बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं और अपने विश्वास व दृढ़ता में बल पाते हैं और एकता व एकरूपता में उन्नति करते हैं। अतः इस्लामी शिक्षाओं में राष्ट्रीय एकता का जो महत्व और बरकात बताए गए हैं, आज खिलाफत-ए-अहमदिया की छत्रछाया में जमाअत-ए-अहमदिया उसकी जीती-जागती तस्वीर है।

मेरी प्रार्थना है कि अल्लाह तआला सभी पाठकों को यह सामर्थ्य प्रदान करे कि वे अल्लाह तआला का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस 'अल्लाह की रस्सी' को मज़बूती से थामे रहें। अल्लाह आपके साथ हो। आमीन।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

## राष्ट्रीय एकजुटता परंतु कैसे प्राप्त करें! (संपादकीय)

हमारा प्यारा देश भारत, जो विभिन्न धर्मों, राष्ट्रीयताओं, वर्णों और नस्लों की स्थली है, समय बीतने के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय एकजुटता का वातावरण खोता जा रहा है। इसमें विभिन्न धर्मों की कोई विशेष भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीति को सफल बनाने के लिए धर्मों का गलत और निकृष्ट उपयोग इसके लिए उत्तरदायी है और इसमें विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञ शामिल हैं। जो राजनेता हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, वे अपने हिंदू मतदाताओं में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिंदू धर्म को संकट में बताकर अन्य धर्मों के लोगों से उन्हें लड़ाकर अपनी राजनीति को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और यह सफलता उन्हें तब विशेष रूप से नज़र आती है जब हिंदू धर्म के धार्मिक नेता ऐसे राजनेताओं के सहयोगी और सहायक बन जाते हैं और उनके साथ अधिक से अधिक अपने ही धर्म के लोगों को शामिल करने का प्रयास करते हैं, भले ही इसके लिए कभी-कभी हिंसा का सहारा भी लेना पड़े।

यही स्थिति मुस्लिम राजनेताओं की है कि वे भी अपनी राजनीतिक सफलता के लिए मुस्लिम जनता को इस्लाम के खतरे में होने का आभास कराकर अपने इस निंदनीय उद्देश्य में शामिल करते हैं और अपने इस मकसद को मज़बूत बनाने के लिए मुस्लिम विद्वानों का भी सहारा लेते हैं ताकि इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक दुकान चमका सकें। यही हाल अन्य धर्मों और राष्ट्रीयताओं के राजनेताओं का भी है। और न केवल भारत में, बल्कि पड़ोसी देशों में भी अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए धर्म का आवरण ओढ़ने का निंदनीय धंधा जोरों पर है।

पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे है और वहाँ के राजनेताओं ने मौलवियों की सहायता से पिछले पाँच दशकों में अपनी दुकान खूब चमकाई है, लेकिन अंततः अब पाकिस्तान की जो दशा है, वह सबके सामने है कि न वहाँ राजनीति टिक सकी, न धर्म की वास्तविकता कायम रह सकी, न अर्थव्यवस्था स्थिर रह सकी और न सामाजिक संबंध। धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, वहाँ का सब कुछ बिखरकर टुकड़े-टुकड़े हो चुका है।

भारत में ये हालात अब पाकिस्तान के पश्चात पैदा हो रहे हैं और चिंता की बात यह है कि दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जब राजनीति में धार्मिक कट्टरता की शुरुआत की, तब उसके सामने हाल के दौर का कोई उदाहरण नहीं था जिससे सबक लेकर वह पीछे हट जाता, लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान का शिक्षाप्रद उदाहरण मौजूद है।

केवल यही नहीं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने यूरोप का अतीत का इतिहास भी मौजूद है, जब बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी का वह भयानक और अंधकारमय दौर यूरोप पर आया था। और उस दौर के धार्मिक कट्टरपंथियों ने अपने नीच सांसारिक हितों की पूर्ति के लिए निर्दोष मनुष्यों पर अत्याचार ढाए, बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों को लज्जाजनक सजाएँ दी गईं। गैलीलियो और उसके जैसे अनेक बुद्धिजीवियों को धार्मिक ठेकेदारों के कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन जब यूरोप ने राजनीति और धर्म को अलग करके धर्मनिरपेक्ष सोच की शुरुआत की, तो वहाँ विकास का दौर दौरा हुआ और आज भी यूरोप के देश भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के कई देशों से आगे हैं।

उस दौर को यूरोप का पुनर्जागरण कहा जाता है। काश कि भारत,

## इस्लामी शिक्षाओं के प्रकाश में राष्ट्रीय एकता का महत्व और बरकात

क्रम	विषय सूची	पृष्ठ
1	राष्ट्रीय एकजुटता परंतु इसे कैसे प्राप्त करें?	4
2	कुरआन-ए-करीम, खुदा तआला का आदेश	5
3	हदीस, सारी मस्लूक अल्लाह का खानदान है	6
4	खुल्बा हज्जतुल विदा (मानवता के लिए वैश्विक घोषणा-पत्र)	7
5	खुल्फ़ा किराम के उपदेश	8
6	खुल्ब: जुमअ: सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद खलीफ़तुल मसीह पंचम अय्य-दहुल्लाहो तआला बिनसिहिल अज़ीज़, दिनांक 14 नवम्बर 2025 ई.	10
7	इस्लाम में समानता की शिक्षा	16
8	हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब खलीफ़तुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के राष्ट्रीय एकता पर सुनहरी उपदेश	20
9	इस्लाम में न्याय और निष्पक्षता की शिक्षाएँ	23

पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनेता और धार्मिक नेता यूरोप के इस इतिहास से सबक सीखें और फिर से उस इतिहास को न दोहराएँ। फिर से उस कड़वे अनुभव की पुनरावृत्ति न करें, जिससे सदियों तक एक राष्ट्र ने कष्ट उठाया।

परंतु बात यहीं समाप्त नहीं होती। यूरोप ने इस सांसारिक विकास में धर्म की सकारात्मक भूमिका को भी नज़रअंदाज करते हुए धर्म को पूरी तरह भुला दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ नैतिकता का अभाव हो गया है। स्वतंत्रता के नाम पर लज्जा और शर्म को ताक पर रख दिया गया है और वे पुनर्जागरण के उस दौर के बाद फिर से आध्यात्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देश यूरोप के इस इतिहास से अनेक सबक सीख सकते हैं। एक तो यह कि वे धर्म के सभी सांसारिक स्वार्थी धार्मिक नेताओं को अलविदा कहें और फिर धर्म के उस महान उद्देश्य को प्राप्त करें, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य का खुदा से संबंध स्थापित होता है। इसका परिणाम यह होगा कि सांसारिक विकास भी अपने स्थान पर कायम रहेगा और धार्मिक विकास, जो वास्तव में आत्मा की शांति का एक बड़ा साधन है, वह भी प्राप्त होगा।

यही वह उपाय है जिससे हम राष्ट्रीय एकजुटता प्राप्त कर सकते हैं। भारत या अन्य विकासशील देश तब तक विकास प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक उनमें आपसी सद्भाव और एकता का वातावरण स्थापित न हो और फिर वह सद्भाव और एकता इन देशों से निकलकर अन्य पड़ोसी देशों तक न फैल जाए, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व सद्भाव, एकता और एकजुटता के प्रकाश से आलोकित न हो जाए। और यह महान कार्य स्वार्थपरस्त राजनीति और सांसारिक हितों के लिए धर्म के उपयोग से पूरा नहीं हो सकता, बल्कि केवल

खुदा तआला का आदेश (कुरआन-ए-करीम)  
अल्लाह तआला बनी नौ इंसान से इंसान करने, एहसान करने  
और करीबी रिश्तेदारों जैसा सुलूक करने का हुक्म देता है

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
(सूर: अल्-हुजुरात 14)

ऐ लोगो! निसन्देह हमने तुम्हें नर और मादा से पैदा किया और तुम्हें  
क्रौमों और क़बीलों में तक्रसीम किया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचान  
सको। निसन्देह अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा सम्मानित वह है  
जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। निसन्देह अल्लाह दाइमी इल्म रखने वाला  
(और) हमेशा बाख़बर है।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  
(सूर: अन-निसा 2)

ऐ लोगो! अपने रब का तक्रवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान  
से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों में से  
मर्दों और औरतों को बकसरत फैला दिया। और अल्लाह से डरो जिसके  
नाम के वास्ते दे कर तुम एक-दूसरे से माँगते हो और रहमों (के तक्राज़ों)  
का भी खयाल रखो। निसन्देह अल्लाह तुम पर निगेहबान है।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا  
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْبِسُوا  
وَلَا تَتَّبِعُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
(सूर: अल्-हुजुरात 12)

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! (तुम में से) कोई क्रौम किसी क्रौम पर  
तंज़ न करे। मुमकिन है वह उनसे बेहतर हो जाएँ। और न औरतें औरतों से  
(तंज़ करें)। हो सकता है कि वह उनसे बेहतर हो जाएँ। और अपने लोगों  
पर ऐब मत लगाया करो और एक-दूसरे को नाम बिगाड़ कर न पुकारा  
करो। ईमान के बाद फिस्क़ का दाग़ लग जाना बहुत बुरी बात है। और  
जिसने तौबा न की तो यही वह लोग हैं जो ज़ालिम हैं।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
(अल्-हुजुरात 14)

ऐ लोगो! हमने तुमको मर्द और औरत से पैदा किया है और तुमको  
कई गिरोहों और क़बीलों में तक्रसीम कर दिया ताकि तुम एक-दूसरे को  
पहचानो। अल्लाह के नज़दीक तुममें से ज़्यादा सम्मानित वही है जो सबसे  
ज़्यादा मुत्तक़ी है। अल्लाह निसन्देह बहुत इल्म रखने वाला और बहुत ख़बर  
रखने वाला है।

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا  
مِّنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
(सूर: अल्-मुमतहिना : 9)

अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में  
क्रताल नहीं किया और न तुम्हें बे-वतन किया कि तुम उनसे नेकी करो और  
उनसे इंसान के साथ पेश आओ। निसन्देह अल्लाह इंसान करने वालों से  
मुहब्बत करता है।

إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا  
مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأَعْلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ  
الظَّالِمُونَ  
(सूर अल्-मुमतहिना 10)

अल्लाह तुम्हें केवल उन लोगों के बारे में मना करता है जिन्होंने दीन  
के मामले में तुमसे लड़ाई की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हें  
निकालने में एक-दूसरे की मदद की कि तुम उन्हें दोस्त बनाओ। और जो  
उन्हें दोस्त बनाएगा तो यही हैं वह जो ज़ालिम हैं।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
(सूर: अल्-मायदा 9)

ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह की ख़ातिर मज़बूती से  
निगेहबानी करते हुए इंसान की ताईद में गवाह बन जाओ और किसी क्रौम  
की दुश्मनी तुम्हें हरगिज़ इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसान न  
करो। इंसान करो यह तक्रवा के सबसे ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरो।  
निसन्देह अल्लाह उससे हमेशा बाख़बर रहता है जो तुम करते हो।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا  
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ  
(65 सूर: आल-ए-इमरान)

तू कह दे ऐ अहले किताब! उस कलमे की तरफ़ आ जाओ जो हमारे  
और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की  
इबादत नहीं करेंगे और न ही किसी चीज़ को उसका शरीक ठहराएँगे और  
हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। पस  
अगर वह फिर जाएँ तो तुम कह दो कि गवाह रहना कि निसन्देह हम  
मुसलमान हैं।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ  
(सूर: फ़ातिर 25)

निसन्देह हमने तुझे हक़ के साथ बशीर और नज़ीर बना कर भेजा है  
और कोई उम्मत नहीं परंतु ज़रूर उसमें कोई डराने वाला गुज़रा है।

فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
(सूर: अल्-हुजुरात 9)

अल्लाह की तरफ़ से यह एक बड़े फज़ल और नेअमत के तौर पर है।  
और अल्लाह दाइमी इल्म रखने वाला (और) बहुत हिकमत वाला है।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
(91 सूर: अन-नहल)

निसन्देह अल्लाह अदल का और एहसान का और करीबियों पर की  
जाने वाली अता की तरह अता का हुक्म देता है और बे-हयाई और  
नापसन्दीदा बातों और बगावत से मना करता है। वह तुम्हें नसीहत करता है  
ताकि तुम इबरत हासिल करो।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا  
(सूर: अन-निसा 59)

निसन्देह अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हक़दारों  
के सुपुर्द किया करो और जब तुम लोगों के दरमियान हुक्मत करो तो इंसान  
के साथ हुक्मत करो। निसन्देह बहुत ही उम्दा है जो अल्लाह तुम्हें नसीहत  
करता है। निसन्देह अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) गहरी नज़र रखने  
वाला है।



सभी मनुष्य, चाहे वे किसी भी समुदाय या स्थिति के हों, मनुष्य होने के नाते एक समान दर्जा रखते हैं।  
 सृष्टि के सरताज हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का खुल्बा-ए-हज्जतुल विदा  
 मानवता के लिए वैश्विक घोषणा-पत्र

सृष्टि के सरताज हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हिजरत के नौवें वर्ष हज किया और उस दिन आप पर पवित्र कुरआन की यह आयत उतरी: "आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूरा कर दिया है और तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को ही धर्म के रूप में स्वीकार किया है।" (सूर: अल्-मायदा: 3)। अर्थात्, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया है और जितने भी आध्यात्मिक वरदान खुदा की ओर से अपने बंदों पर उतार सकता है, वे सब मैंने तुम्हारी समुदाय को प्रदान कर दिए हैं और यह निर्णय कर दिया है कि तुम्हारा धर्म खालिस रूप से अल्लाह तआला की आज्ञाकारिता पर टिका हो।

इस आयत को आपने मज़दलफ़ा के मैदान में, जब हज के लिए लोग एकत्र हुए थे, सबके सामने ऊँचे स्वर में पढ़कर सुनाया और निम्नलिखित ज्ञानवर्धक उपदेश दिया, जो मानवीय गौरव का वैश्विक घोषणा-पत्र है और आने वाली सदियों तक के लिए सदैव जीवन्त रहेगा। आपने फ़रमाया:

"हे लोगो! मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद कभी मैं तुम लोगों के बीच इस मैदान में खड़ा होकर कोई भाषण दे पाऊँगा। तुम्हारी जानों और तुम्हारे माल को अल्लाह तआला ने क्रयामत तक एक-दूसरे के अतिक्रमण से सुरक्षित घोषित किया है। अल्लाह तआला ने हर व्यक्ति के लिए विरासत में उसका हिस्सा निर्धारित कर दिया है। कोई वसीयत ऐसी मान्य नहीं है जो किसी वारिस के हक़ को नुकसान पहुँचाए। जो बच्चा जिसके घर में पैदा हो, वह उसी का माना जाएगा, और अगर कोई व्यभिचार के आधार पर उस बच्चे का दावा करेगा, तो वह स्वयं ही दंड का पात्र होगा। जो व्यक्ति किसी के पिता की ओर अपने आपको झूठा संबंधित बताता है या किसी को झूठा आका (स्वामी) बताता है, उस पर अल्लाह, उसके फरिश्तों और सारे इंसानों की लानत हो। हे लोगो! तुम्हारे कुछ अधिकार तुम्हारी पत्नियों पर हैं और तुम्हारी पत्नियों के कुछ अधिकार तुम पर हैं। उन पर तुम्हारा अधिकार यह है कि वे सतीत्वपूर्ण जीवन बिताएँ और ऐसा कोई काम न करें जिससे पति के परिवार की बदनामी हो। अगर वे ऐसा करें तो तुम (जैसा कि कुरआन करीम का निर्देश है कि उचित जाँच और न्यायिक फैसले के बाद ही ऐसा किया जा सकता है) उन्हें दंड दे सकते हो, मगर इसमें भी अत्यधिक कठोरता न बरतो। लेकिन अगर वे कोई ऐसा काम नहीं करतीं जो परिवार और पति की इज्ज़त के खिलाफ़ हो, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक़ उनके खाने-पीने और कपड़े-लत्ते का इंतज़ाम करो। और याद रखो कि हमेशा अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनकी देखभाल

तुम्हारे जिम्मे कर रखी है। औरत एक नाजुक प्राणी है और वह अपने हक़ की खुद हिफाजत नहीं कर सकती। जब तुमने उनसे निकाह किया था, तो अल्लाह तआला को उनके अधिकारों का गारंटर बनाया था और अल्लाह तआला के कानून के तहत ही तुम उन्हें अपने घर लाए थे (इसलिए अल्लाह तआला की इस गारंटी की उपेक्षा मत करो और औरतों के हक़ अदा करने का हमेशा ख्याल रखो)। हे लोगो! तुम्हारे कब्ज़े में अभी कुछ युद्धबंदी भी हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उन्हें वही खाना खिलाओ जो तुम स्वयं खाते हो और उन्हें वही कपड़े पहनाओ जो तुम स्वयं पहनते हो। अगर वे कोई ऐसा अपराध कर बैठें जिसे तुम माफ़ नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी और के हवाले कर दो, क्योंकि वे अल्लाह के बंदे हैं और उन्हें किसी भी हालत में तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है। हे लोगो! जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो और अच्छी तरह याद रखो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब एक समान हो। तुम सभी इंसान, चाहे किसी भी समुदाय और किसी भी स्थिति के हों, इंसान होने के नाते बराबर का दर्जा रखते हो।" यह कहते हुए आपने अपने दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में मिला दीं और कहा: "जिस तरह ये दोनों हाथों की उँगलियाँ बराबर हैं, उसी तरह तुम सारे इंसान आपस में बराबर हो। तुम्हें एक-दूसरे पर वरीयता जताने और ऊँच-नीच दिखाने का कोई हक़ नहीं है। तुम आपस में भाई-भाई हो।" फिर आपने फ़रमाया: "क्या तुम जानते हो आज कौन-सा महीना है? क्या तुम जानते हो यह कौन-सा स्थान है? क्या तुम जानते हो आज कौन-सा दिन है?" लोगों ने कहा: "हाँ! यह पवित्र महीना है, यह पवित्र स्थान है और यह हज का पवित्र दिन है।" हर जवाब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते: "जिस तरह यह महीना पवित्र है, जिस तरह यह स्थान पवित्र है, जिस तरह यह दिन पवित्र है, उसी तरह अल्लाह तआला ने हर इंसान की जान और उसके माल को पवित्र ठहराया है और किसी की जान या माल पर हमला करना उसी तरह नाजायज़ है जैसे इस महीने, इस स्थान और इस दिन की बेअदबी करना। यह आदेश सिर्फ़ आज या कल के लिए नहीं, बल्कि उस दिन तक के लिए है जब तक तुम अल्लाह से जा मिलो।" फिर आपने फ़रमाया: "ये बातें जो मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, उन्हें दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा दो, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग आज मुझसे सुन रहे हैं, उनकी बजाय वे लोग इन पर ज़्यादा अमल करें जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं।"

(दीबाचा तफ़सीरुल कुरआन, पृष्ठ 227 से 229)



### कुरआन-ए-करीम, प्रेम, स्नेह, शांति और सुलह की शिक्षा देता है

यदि किसी चर्च या किसी अन्य पूजास्थल को सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो वे हमें अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा पाएंगे

यदि बड़े पैमाने पर विनाश फैलाने वाले ये हथियार फट गए, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें इस गलती के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगी... कि... हमने उन्हें विकलांगता और अपाहिजपन भेंट में दिया है

आप विश्व में एक सम्मानित स्थान रखते हैं, इसलिए आप शेष संसार को भी सचेत करें... कि... खुदा तआला द्वारा स्थापित प्राकृतिक संतुलन और सामंजस्य में बाधा बनकर वे बहुत तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।

### ईसाइयों के वैश्विक आध्यात्मिक नेता पोप महोदय को विश्व अहमदिया मुस्लिम समुदाय के इमाम का विचारोत्तेजक पत्र पुस्तक “विश्व संकट और शांति का मार्ग” से उद्धरण

विश्व अहमदिया मुस्लिम समुदाय के वर्तमान इमाम, हमारे आदरणीय हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद, खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने खिलाफ़त के पद पर आसीन होते ही विश्व को वैश्विक विनाश से बचाने की चिंता में लग गए। इसके लिए वे दुनिया भर के विकसित देशों के संसदीय सभागारों में भविष्य के भयावह खतरों के संदर्भ में लगातार चिंता और पीड़ा से भरपूर अपनी आध्यात्मिक आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। वे विश्व नेताओं को उत्कृष्ट इस्लामी शिक्षाओं से सुसज्जित अपने पत्रों के माध्यम से यह ध्यान दिलाते रहे हैं कि आने वाले भयानक दिनों को ध्यान में रखते हुए वे अपने-अपने क्षेत्र में विश्व शांति के प्रयासों को तेज करें।

उन्होंने ये भाषण ब्रिटिश संसद में, जर्मनी के सैन्य मुख्यालय में, वाशिंगटन डी.सी. के कैपिटल हिल में, यूरोपीय संसद में, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय संसद में, डच राष्ट्रीय संसद में दिए तथा अनेक शांति सम्मेलनों में अपने दूरदर्शी भाषण दिए। इसके अतिरिक्त अनेक वैश्विक नेताओं को विश्व शांति की स्थापना की ओर आमंत्रित करते हुए उन्हें पत्र भी भेजे, जिनमें इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के राजा, चीन गणराज्य के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर, ब्रिटेन की महारानी, फ्रांस के राष्ट्रपति, रूसी संघ के राष्ट्रपति और पोप बेनेडिक्ट सोलहवें शामिल हैं।

इनमें से वह पत्र जो उन्होंने 2011 में ईसाइयों के वैश्विक आध्यात्मिक प्रमुख पोप बेनेडिक्ट सोलहवें को भेजा था, उसका संपूर्ण मूल पाठ निम्नलिखित “बद्र” के पाठकों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पत्र के अध्ययन से आप अनुभव करेंगे कि समुदाय के इमाम उस समय से आने वाले वैश्विक विनाश से चेतावनी देते आ रहे हैं जबकि अन्य वैश्विक नेता इसकी महत्ता से अपरिचित थे और इसे असमय की बात समझ रहे थे। लेकिन आज जब हम हमारे इमाम का यह पत्र पुनः प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो दुनिया इस विनाश को अब अपने बहुत निकट महसूस कर रही है।

अतः अब भी इस आध्यात्मिक आवाज़ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर प्रत्येक अहमदी, अपने-अपने क्षेत्र में इस विनाश के भयावह प्रभावों से सभी मनुष्यों को अवगत कराएँ और हमारे इमाम के शब्दों में यह संदेश दे कि ‘मानवजाति अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने, क्योंकि यही एक बात मानवता के संरक्षण की गारंटी है।’ (संपादकीय विभाग)

माननीय

श्रीमान पोप बेनेडिक्ट सोलहवें

मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा तआला आप पर अपनी कृपा और दया बरसाएँ।

विश्व अहमदिया मुस्लिम समुदाय के इमाम के रूप में, मैं आपके समक्ष पवित्र कुरआन-ए-करीम का निम्नलिखित संदेश प्रस्तुत करता हूँ:

“आप कहें: हे पूर्व ग्रंथों के अनुयायियों! एक ऐसे वचन की ओर आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की उपासना नहीं करेंगे और न ही किसी चीज को उसका साझी बनाएंगे और हम में से कोई अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को पालनहार नहीं बनाएगा।”

आजकल इस्लाम दुनिया के लिए निशाना बना हुआ है और बार-बार तुच्छ आरोपों के घेरे में आ रहा है। वास्तव में इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं का अध्ययन किए बिना ही ये आपत्तियाँ उठाई जा रही हैं। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित मुस्लिम संगठन अपने निंदनीय उद्देश्यों के लिए इस्लाम को बिल्कुल गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी और गैर-मुस्लिम देशों के निवासियों के मन में मुसलमानों के प्रति अविश्वास इस हद तक बढ़ गया है कि कुछ अत्यंत शिक्षित लोग भी इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर घटिया आरोप लगा रहे हैं।

हर धर्म का उद्देश्य बंदे को खुदा तआला के निकट लाना और मानवीय मूल्यों की स्थापना करना है। किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि उसके अनुयायी दूसरों के अधिकारों का हनन करें या अत्याचारपूर्ण कार्य करें। इसलिए मुसलमानों के एक गुमराह अल्पसंख्यक के कृत्यों को इस्लाम और इस्लाम के संस्थापक पर हमले का औचित्य नहीं बनाना चाहिए। इस्लाम हमें सभी धर्मों के संस्थापक अवतारों का आदर करने का आदेश देता है। अतः एक मुसलमान के लिए उन सभी पैगंबरों पर

विश्वास रखना आवश्यक है जिनका वर्णन बाइबिल या पवित्र कुरआन-ए-करीम में है, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के विनम्र सेवक हैं। इसलिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर हमलों के कारण हमें गहरी पीड़ा होती है, लेकिन इसके उत्तर में हम दुनिया के सामने उनके आदर्श आचरण को प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं और पवित्र कुरआन-ए-करीम की सुंदर शिक्षा को पहले से अधिक दुनिया को दिखा रहे हैं।

यदि कोई व्यक्ति किसी शिक्षा से संबंधित होने का दावा करने के बावजूद उस शिक्षा पर सही ढंग से अमल नहीं करता, तो यह उस व्यक्ति का दोष है, शिक्षा का नहीं। “इस्लाम” शब्द का अर्थ ही शांति, प्रेम और सुरक्षा है। “धर्म में कोई बलप्रयोग नहीं है!” पवित्र कुरआन-ए-करीम का एक स्पष्ट आदेश है। आरंभ से अंत तक पवित्र कुरआन-ए-करीम प्रेम, स्नेह, शांति और सुलह की शिक्षा देता है। पवित्र कुरआन-ए-करीम बार-बार बल देकर कहता है कि जो खुदा तआला से डर नहीं रखता, वह उससे बहुत दूर है। इसलिए यदि कोई इस्लाम को उग्रवादी, बलप्रयोग व हिंसा और रक्तपात सिखाने वाला धर्म बताकर प्रस्तुत करता है, तो ऐसी तस्वीर का वास्तविक इस्लाम से कोई संबंध नहीं है।

अहमदिया मुस्लिम समुदाय वास्तविक इस्लाम पर कायम है और केवल खुदा तआला की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि किसी चर्च या किसी अन्य पूजास्थल को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो वे हमें अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ पाएंगे। यदि हमारी मस्जिदों से कोई संदेश गुंजेगा, तो वह केवल यही होगा: “अल्लाह महान है! अल्लाह महान है! और हम गवाही देते हैं कि उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं!”

विश्व शांति को नष्ट करने में एक बड़ा तत्व यह है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि चूंकि वे बुद्धिमान, शिक्षित और उदार विचारों वाले हैं, इसलिए उन्हें धर्मों के संस्थापकों का अपमान और तिरस्कार करने का अधिकार है। सामाजिक शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति हृदय से सारी कटुता निकालकर सहनशीलता का स्तर बढ़ाए। एक-दूसरे के पैगंबरों की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। दुनिया जिस बेचैनी और अशांति के दौर से गुजर रही है, वह इस बात की माँग करती है कि प्रेम और स्नेह का वातावरण स्थापित किया जाए। हम अपने परिवेश में आपसी भाईचारे और प्रेम के संदेश को बढ़ावा दें और यह कि हम पहले से बढ़कर सहिष्णुता के साथ बेहतर ढंग से रहना सीखें और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दें।

वर्तमान समय में दुनिया में छोटे पैमाने पर युद्ध छिड़ चुके हैं, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर वैश्विक शक्तियाँ इस बात का दावा कर रही हैं कि वे शांति प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि बाहरी रूप से कुछ और बताया जा रहा है, जबकि आंतरिक रूप से उनकी वास्तविक प्राथमिकताएँ कुछ और हैं, जिनके लिए पर्दे के पीछे और गुप्त योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन परिस्थितियों में विश्व शांति स्थापित हो सकती है?

अत्यंत खेद का विषय है कि यदि हम दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से विश्लेषण करें, तो हमें ज्ञात होगा कि एक और विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी है। यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्याय और इंसाफ का मार्ग अपनाया जाता, तो आज दुनिया की यह स्थिति न होती, जिसके कारण यह एक बार फिर अग्नि की लपटों की चपेट में आ चुकी है। अनेक देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण घृणा और शत्रुता बढ़ रही है और दुनिया विनाश के कगार पर पहुँच चुकी है। यदि बड़े पैमाने पर विनाश फैलाने वाले ये हथियार फट गए, तो आने वाली पीढ़ियाँ इस गलती के लिए हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी कि हमने उन्हें विकलांगता और अपाहिजपन उपहार स्वरूप दिया है। अब भी समय है कि दुनिया सृष्टिकर्ता और उसकी रचना के अधिकारों की पूर्ति की ओर ध्यान दे।

मेरी दृष्टि में इस समय दुनिया की उन्नति पर ध्यान देने के बजाय यह अधिक आवश्यक है कि हम दुनिया को इस विनाश से बचाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दें। तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि मानवजाति अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने, क्योंकि केवल यही एक बात मानवता के संरक्षण की गारंटी है, अन्यथा दुनिया बहुत

तेजी के साथ विनाश की ओर बढ़ रही है। यदि आज वास्तव में मनुष्य शांति स्थापना में सफल होना चाहता है, तो दूसरों में दोष ढूँढने के बजाय उसे अपने भीतर के शैतान पर नियंत्रण पाना चाहिए। अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर करके मनुष्य को न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण बनना होगा। मैं दुनिया को बार-बार ध्यान दिलाता रहता हूँ कि एक-दूसरे के प्रति अत्यधिक शत्रुता और मानवीय मूल्यों की अवहेलना दुनिया को विनाश की ओर ले जा रही है।

आप दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शेष विश्व को भी सचेत करें कि खुदा तआला द्वारा स्थापित प्राकृतिक संतुलन और सामंजस्य के मार्ग में बाधा बनकर वे बहुत तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस संदेश को पहले से बहुत व्यापक पैमाने पर और बहुत प्रमुखता से फैलाने की आवश्यकता है।

दुनिया के सभी धर्मों को धार्मिक सहिष्णुता और सभी लोगों में प्रेम, स्नेह और भाईचारे की भावना पैदा करने की आवश्यकता है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए दुनिया को शांति और प्रेम का पालना बनाएँ और अपने सृष्टिकर्ता को पहचानने में अपनी भूमिका निभाएँ। हमारी प्रार्थना और कामना है कि खुदा तआला हम सभी को विनाश से बचा ले।

आपका हितैषी,

मिर्जा मसरूर अहमद, खलीफतुल मसीह खामिस (31 अक्टूबर, 2011)



**विश्व शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मों की सकारात्मक भूमिका**  
**हजरत मिर्जा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह के व्याख्यान**  
**“इस्लाम और वर्तमान युग की समस्याएँ” से शिक्षाप्रद उद्धरण**

आपने फ़रमाया :

धर्म को तो शांति स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए थी। उसका कार्य तो यह था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के अनुयायियों के बीच गलतफहमियों के निवारण, शिष्टता के प्रचार और ‘जियो और जीने दो’ के सिद्धांत के क्रियान्वयन के संबंध में अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान युग में शांति के प्रसार के लिए धर्मों ने यदि कहीं कोई भूमिका निभाई भी है, तो वह बहुत ही क्षीण और सामान्य प्रकृति की है। इसके विपरीत विवाद और रक्तपात को जन्म देने के लिहाज से धर्म आज भी एक बड़ी सक्रिय शक्ति है। दुख और विपत्तियाँ उत्पन्न करने में धर्म की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अतः यदि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, तो इस मामले में जो कमियाँ विद्यमान हैं उन्हें दूर करना होगा। विश्व शांति का कोई भी स्वप्न इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के बिना साकार नहीं हो सकता। आंतरिक रूप से भी धर्म की शक्ति का नकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है। एक ही धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को उसी धर्म से जुड़े कुछ लोगों के विरुद्ध भड़काया जा सकता है। उन पर विपत्तियाँ और कष्टों के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, केवल इसलिए कि दुर्भाग्यवश वे अल्पसंख्यक में हैं।

मुसलमानों का सारा इतिहास ऐसी भयानक और कुरूप घटनाओं से भरा पड़ा है, जब इस्लाम को, जो शांति और सौहार्द का धर्म है, दूसरे निर्दोष मुसलमानों के सुख और चैन को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया। वे पीड़ित लोग निस्संदेह मुसलमान ही थे, केवल उनका मत वह नहीं था जो बहुमत उन पर थोपना चाहती थी। इस्लाम के इतिहास से यह सिद्ध है कि स्वयं मुसलमानों पर इस्लाम के नाम पर अत्याचार किए गए हैं। मुसलमानों ने जितने धर्मयुद्ध ईसाइयों के विरुद्ध लड़े हैं, वे संख्या और तीव्रता में उन ‘पवित्र’ युद्धों से बहुत कम हैं, जो चौदह सौ वर्षों में मुसलमानों ने मुसलमानों के विरुद्ध लड़े हैं। और यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ हो रहा है और जो कुछ शिया अल्पसंख्यक के विरुद्ध अक्सर होता रहता है, वह इस कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराने के लिए पर्याप्त है। यह स्थिति सचेत कर रही है कि जो अशांतिपूर्ण समस्या बहुत पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी, वह आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है।

ईसाइयों ने भी स्वयं ईसाइयों पर अत्याचार किए हैं। यदि यूरोप और अमेरिका के इतिहास के पन्नों में दबे धार्मिक अत्याचारों की घटनाएँ समय के प्रवाह के कारण स्मृति से मिट गई हों, तो केवल आयरलैंड में जारी धार्मिक व राजनीतिक संघर्ष को एक नजर देख लेना काफी होगा। अन्य क्षेत्रों में भी ईसाई धर्म में आंतरिक संप्रदायगत संघर्ष के छिपे हुए खतरे विद्यमान हैं, यद्यपि फिलहाल ये क्षेत्र कुछ अन्य प्रकार के झगड़ों और विवादों में उलझे हुए हैं। भारत में हिंदू-मुस्लिम दंगे, नाइजीरिया में ईसाइयों और मुसलमानों का संघर्ष, मध्य पूर्व में यहूदियों और मुसलमानों के युद्ध, या यहूदियों और ईसाइयों के नाजुक और संवेदनशील आर्थिक व राजनीतिक संबंध और उनमें बिगाड़ की गुप्त प्रवृत्ति, वास्तव में इन्हीं छिपे हुए खतरों की ओर संकेत करते हैं। ये खतरे धार्मिक दुनिया में सुप्त ज्वालामुखियों के समान हैं, जो किसी भी समय फट सकते हैं। इन समस्याओं के संबंध में मानसिक दृष्टिकोण में सुधार का महत्व इतना स्पष्ट है कि इस पर और बल देने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम इन समस्याओं का क्या समाधान प्रस्तुत करता है? इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। निम्नलिखित में, इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बयान करके मैं इस भाग को समाप्त करता हूँ।

(1) दुनिया के सभी धर्मों को, चाहे वे इस्लाम को सच्चा धर्म मानते हों या नहीं, इस

बुनियादी इस्लामी सिद्धांत पर चलना चाहिए कि आंतरिक संप्रदायगत झगड़ों और अन्य धर्मों के साथ विवादों को हल करने के लिए शक्ति और बलप्रयोग के उपयोग की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने या न अपनाने, अपने विश्वास की घोषणा करने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने, किसी विश्वास को गलत कहने या उसे त्यागने या अपना विश्वास बदलने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और इस स्वतंत्रता का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा।

(2) सभी धर्मावलंबियों के लिए कम से कम इस इस्लामी सिद्धांत का पालन अनिवार्य होगा कि वे सभी धर्मों के संस्थापकों और हर धर्म के आदरणीय व्यक्तियों का सम्मान करें। अन्य धर्म चाहे सच्चाई की इस्लामी अवधारणा और उसकी सार्वभौमिकता के प्रति आस्थावान न भी हों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद, हिंदू धर्म, पारसी धर्म आदि के दृष्टिकोण से, चाहे शेष धर्म झूठे ही क्यों न हों और खुदा तआला से उनका कोई संबंध न हो, तब भी हर धर्म के पवित्र लोगों का सम्मान करना उनके लिए अनिवार्य होगा। यद्यपि ऐसा करते समय उन्हें अपने सिद्धांतों के संबंध में किसी प्रकार का समझौता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपसी सम्मान तो बुनियादी मानव अधिकारों से संबंधित मामला है। हर मनुष्य के इस बुनियादी मानव अधिकार को स्वीकार करना आवश्यक है कि उसकी धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को किसी भी स्थिति में ठेस न पहुँचाई जाए और उसकी हृदय-वेदना न हो।

(3) यह याद रखना चाहिए कि धर्मों के नेताओं के सम्मान के सिद्धांत को किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। धार्मिक अपमान को एक नीच कृत्य बताने के लिए और उसका हतोत्साह करने के लिए जनमत को जागरूक करना चाहिए, ताकि वह ऐसे अशिष्ट, अतार्किक और घृणित कार्य की निंदा करे।

(4) इस सदी के आरंभ में अहमदिया मुस्लिम समुदाय ने जिस ढंग से अंतरधर्म सम्मेलनों के आयोजन की शृंखला आरंभ की थी, ऐसे सम्मेलनों के व्यापक पैमाने पर आयोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें प्रचलित करना चाहिए। ऐसे सम्मेलनों की निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए:

(क) सभी वक्ताओं को चाहिए कि वे अपने-अपने धर्म की मनमोहक और विशिष्ट अच्छाइयों को बताएँ और दूसरे धर्मों पर कीचड़ न उछालें।

(ख) वक्ताओं को चाहिए कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से दूसरे धर्मों की अच्छाइयों को खोजने का प्रयास करें और फिर उन्हें अपने भाषणों में बताएँ और यह भी बताएँ कि वे इन अच्छाइयों से प्रभावित हैं।

(ग) वक्ताओं को अन्य धर्मों के संस्थापकों और धार्मिक नेताओं के चरित्र और व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक यहूदी वक्ता पैंगबर मुहम्मद (उन पर खुदा तआला की शांति हो) की विशिष्ट विशेषताओं को बता सकता है, अर्थात् ऐसी विशेषताएँ जिनकी सभी लोग अपने धार्मिक विश्वासों से कोई समझौता किए बिना प्रशंसा कर सकते हैं। इसी प्रकार एक मुस्लिम वक्ता हज़रत कृष्ण (उन पर शांति हो) के संबंध में भाषण दे सकता है। एक हिंदू हज़रत ईसा (उन पर शांति हो) और बौद्ध हज़रत मुसा (उन पर शांति हो) के चरित्र का वर्णन कर सकता है, इत्यादि। इस सदी की तीसरी दशक में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के तत्वावधान में भारत में हिंदू-मुस्लिम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ऐसे उपयोगी और लोकप्रिय सम्मेलन आयोजित हुआ करते थे।

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव (ग) के संबंध में किसी प्रकार के अपवाद के बिना इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के समय धार्मिक बहस और चर्चा की पवित्रता की पूरी सुरक्षा की जाए। धार्मिक विचार-विमर्श की यह कहकर निंदा नहीं की जानी चाहिए कि इससे शांति भंग होने का खतरा है। यदि बहस का तरीका और ढंग गलत है तो केवल उस गलत तरीके और गलत ढंग की निंदा होनी चाहिए, न कि बहस को अपने आप में गलत ठहरा दिया जाए। अपने विचारों का स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है। योग्यतम की उत्तरजीविता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी कीमत पर इस सिद्धांत से समझौता न किया जाए।

(ङ) मतभेदों के दायरे को सीमित करने और आपसी सहमति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है कि सभी धर्म अपनी बहस को अपने और दूसरे धर्मों की नींव तक सीमित रखेंगे। पवित्र कुरआन-ए-करीम की यह घोषणा कि सभी धर्म अपने आरंभ में एक समान थे, बहुत महत्व की है और इसमें महान बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। सभी धर्मों को अपने और संपूर्ण मानवजाति के लाभ के लिए पवित्र कुरआन-ए-करीम की इस घोषणा का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसकी सच्चाई जाँचने के लिए शोध करना चाहिए।

(5) साझा हित की सभी परियोजनाओं और योजनाओं में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए और इसकी अधिक से अधिक प्रोत्साहना की जाए। उदाहरण के लिए, जनकल्याण की परियोजनाओं पर ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और यहूदी सभी मिल-जुलकर कार्य कर सकते हैं।

पिछले युगों के विद्वानों और संतों ने मानवजाति के एकता के जो स्वप्न देखे थे, केवल इसी स्थिति में हम उन्हें वास्तविकता का रूप देने की आशा कर सकते हैं। वे स्वप्न जिनमें उन्होंने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, संक्षेप में कहें तो हर क्षेत्र में मानवजाति को एक झंडे तले एकल करने का विचार बुना था। (“इस्लाम और वर्तमान युग की समस्याएँ” पृष्ठ...)

**खुल्ब: जुमअ:**

प्रिय खुदा! मुझे और मेरे अनुयायियों को क्षमा कर दे। हे खुदा! मुझे और मेरे अनुयायियों को क्षमा कर दे।  
हे खुदा! मुझे और मेरे अनुयायियों को क्षमा कर दे।

आपने यह प्रार्थना तीन बार दोहराई। फिर कहा: मैं खुदा से अपने और तुम सबके लिए क्षमा माँगता हूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु वे लोग थे जिन्होंने हर खतरे के समय बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। उनके लिए कोई कष्ट या पीड़ा ऐसी नहीं थी जिसे वे कष्ट या पीड़ा मानते हों, बल्कि जब भी सेवा का अवसर आता, वे प्रसन्नता से अपना जीवन अर्पित कर देते थे।

(हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु)

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: लोगों में वह व्यक्ति अद्वितीय है जो अपने घोड़े पर सवार होकर खुदा के मार्ग में संघर्ष करता हो और लोगों की बुराई से बचा रहता हो।

और दूसरा वह व्यक्ति अतुलनीय है जो अपनी उदारता और समृद्धि में प्रसिद्ध हो और अपने अतिथि का आदर-सत्कार करता हो तथा उसका अधिकार देता हो।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने हाथों से हज़रत अब्दुल्लाह जुलबिजादैन के शव को कब्र में रखा और फिर आपने प्रार्थना की।

"हे खुदा! मैंने शाम इस अवस्था में की है कि मैं उससे प्रसन्न था, अतः तू भी उससे प्रसन्न हो जा।" हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने उस समय कामना की कि काश! यह कब्र में उतारा जाने वाला मैं होता और यह प्रार्थनाएँ प्राप्त करता।

बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका के अहमदियों तथा फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए प्रार्थना अभियान। रब्बाह निवासी मुहम्मद हुसैन साहब पुत्र मुहम्मद इस्माईल साहब की मृत्यु पर उनका स्मरण और नमज़ा जनाज़ा गायब।

खुल्ब: जुमअ: सय्यदना अमीरुल मौ'मेनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनसिहिल अज़ीज़,

दिनांक 14 नवम्बर 2025 ई. स्थान - मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद सिरे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.  
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  
وَلَا الضَّالِّينَ

तबूक के युद्ध में घटित घटनाओं के संदर्भ में पिछले उपदेशों में नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के युद्धों और उनके चरित्र का वर्णन हो रहा है। इस क्रम में तबूक युद्ध का विवरण दिया जा रहा था। इसका और विस्तार यह है। लिखा है कि इस अवसर पर एक महिला ने बहुत निष्ठा और उत्साह का प्रदर्शन किया। इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है कि युद्ध के लिए महिलाओं ने भी जिस प्रकार भी संभव हो सका, किसी भी प्रकार का बलिदान करने में कंजूसी नहीं की। आर्थिक बलिदान में भी अग्रणी रहीं, जिसमें उन्होंने अपने आभूषण उतार-उतार कर नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में प्रस्तुत किए।

(किताबुल मराजी खंड 2 पृष्ठ 381-380, तबूक युद्ध, दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 2013)

इसी प्रकार भावनात्मक बलिदान की एक घटना भी इतिहास की पुस्तकों में सुरक्षित रह गई है, जिसका उल्लेख करते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि चूँकि सेना को सीरिया की ओर जाना

था और मूता के युद्ध का दृश्य मुसलमानों की आँखों के सामने था, इसलिए हर मुसलमान के हृदय में नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के प्राणों की रक्षा का विचार सभी विचारों से प्रमुख था। महिलाएँ तक भी इस खतरे को महसूस कर रही थीं और अपने पतियों और बेटों को युद्ध पर जाने की प्रेरणा दे रही थीं। इस निष्ठा और इस उत्साह का अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि एक सहाबी जो किसी काम से बाहर गए हुए थे, उस समय लौटे जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम सेना सहित मदीना से रवाना हो चुके थे। एक लंबे विछोह के बाद जब वे इस विचार से अपने घर में प्रवेश हुए कि अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न होंगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आँगन में बैठी देखा और प्रेम से आगे बढ़े आलिंगन करने के लिए। जब वे पत्नी के निकट पहुँचे तो उनकी पत्नी ने दोनों हाथों से उन्हें धक्का दे दिया और पीछे हटा दिया। इस सहाबी ने आश्चर्य से अपनी पत्नी का मुख देखा और पूछा इतने समय बाद मिलने पर यह व्यवहार क्यों? पत्नी ने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। खुदा का रसूल उस खतरनाक स्थान पर जा रहा है और तुम अपनी पत्नी से प्रेम करने का साहस करते हो! पहले जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो, इसके बाद यह बातें देखी जाएँगी। वह सहाबी तुरंत घर से बाहर निकल गए। अपने वाहन पर काठी कसी और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से तीन पड़ाव आगे जाकर मिल गए।

(द्वैबाचातफ़सीरुल कुरआन, अन्वारुल उलूम खंड 20 पृष्ठ 362-361 से उद्धृत) इस घटना का उल्लेख हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक

अन्य स्थान पर भी किया है। पहला तो दीबाचा तफ्सीरुल कुरआन में है और दूसरा खुदामुल अहमदिया के सम्मेलन में एक भाषण में किया था। आप फ़रमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने एक सहाबी को किसी काम से बाहर भेजा। बाद में तबूक युद्ध की घटना घट गई। यह स्थान अत्यंत खतरनाक था। रोमन साम्राज्य उस समय उतना ही शक्तिशाली था जितना आजकल अमेरिका और रूस की सरकारें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को एक छोटी सी सेना लेकर इतने बड़े साम्राज्य के विरुद्ध जाना पड़ा। मदीना में बहुत कम मुसलमान थे और फिर आसपास के लोग भी एकल नहीं थे, लेकिन यदि वे एकल होते भी तो रोम के सम्राट के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा कि सभी लोग युद्ध के लिए चलें। जब इस्लामी सेना रवाना हो गई तो वह सहाबी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बाहर काम के लिए भेजा हुआ था, वापस आए। युवा व्यक्ति थे। नई-नई शादी हुई थी। एक लंबे विछोह के बाद जब वे अपने घर में प्रवेश हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को आँगन में बैठी देखा। वे सीधे उसकी ओर गए और उसे गले लगाना चाहा, किंतु पत्नी ने उनके प्रेम का प्रत्युत्तर देने के बजाय उनकी छाती पर जोर से दो थप्पड़ मारे और पीछे धक्का देकर कहा, खुदा का रसूल तो युद्ध के मैदान में गया हुआ है और तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम सूझ रहा है। खुदा की शपथ! जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम कुशलतापूर्वक वापस नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा मुँह तक नहीं देखूँगी।

वह सहाबी तत्काल घर से निकल खड़े हुए और मदीना से तीन पड़ाव की दूरी पर इस्लामी सेना से जा मिले और फिर उसी समय घर वापस आए जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने अन्य साथियों के साथ मदीना वापस लौटे। संक्षेप में, वे लोग थे जिन्होंने हर खतरे के अवसर पर बिना किसी संकोच के अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। उनके लिए कोई कष्ट या पीड़ा ऐसी नहीं थी जिसे वे कष्ट या पीड़ा मानते हों, बल्कि जब भी सेवा का अवसर आता, वे प्रसन्नता से अपना जीवन अर्पित कर देते थे।

(मज्लिस खुदामुल अहमदिया मर्कज़िया के जलसा सालाना से संबोधन, अन्वारुल उलूम खंड 26 पृष्ठ 215 - 214)

वैसे इसके विवरण में और लिखा है कि पंद्रह या कुछ परंपराओं के अनुसार उन्नीस स्थानों पर पड़ाव करते हुए आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने साथियों सहित तबूक के स्थान पर पहुँच गए। तबूक की इस यात्रा में जिन स्थानों पर पड़ाव किया गया, उसका अलग से विवरण नहीं मिलता। किंतु बाद में उन स्थानों पर मस्जिदें बनाई गईं और उन स्थानों के नाम पर मस्जिदों के नाम रखे गए, तो इतिहासकारों ने इससे यह विवरण दिया कि उन्नीस स्थानों पर नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ठहरा होगा। उन स्थानों के नाम भी पुस्तकों में वर्णित हैं जो पंद्रह से बाईस तक बताए जाते हैं।

इब्रे इशाक और इब्रे हिशाम की जीवनी में जिन सत्रह स्थानों पर मस्जिदें बनाने का उल्लेख किया गया है, वे ये हैं:

जुखशुब, फैफ़ा, जुल्मरवा, रक़आ, वादिल कुरा, सईद, हिज़्र, सद्र हौज़ा, जुल्ज़ीफ़ा, शिक़ तारा, अलबत्ता, अला, ज़ातुल ख़िन्मी, अख़ज़र, ज़ातुज़्ज़िराब, सन्नियतुदिरान, और तबूक।

(अल्लुलुलुल मकनून, सीरत इनसाइक्लोपीडिया, खंड 9 पृष्ठ 499)

(दाइरा मआरिफ़ सीरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम खंड 9 पृष्ठ 485)(अस्सीरतुन्नबविय्या लिब्रे हिशाम खंड 2, भाग 4-3 पृष्ठ 450-449 दारुल मअरिफ़ा बैरुत 2000) (अस्सीरतुन्नबविय्या लिब्रे इशाक खंड 2 पृष्ठ 609 दारुल कुतुब इल्मिया 2004) (वफ़ाउल वफ़ा बि-अख़बार दारिल मुस्तफ़ा तीसरा भाग पृष्ठ 174 से 176 मुद्रित: अलमकतबतुल असरिय्या 2011)

हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु यह घटना वर्णित करते हैं

कि हम तबूक युद्ध में नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम एक रात सो गए। (काफी लंबी यात्रा थी, थकान थी) और उस समय जागे जब सूर्य भाला-भर ऊँचा हो चुका था। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा, हे बिलाल! क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि हमारे लिए फज़्र (भोर) की प्रार्थना का इंतज़ार करना, जागते रहना और हमें जगा देना। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने निवेदन किया, हे खुदा के रसूल! आपकी तरह नींद ने मुझे भी अपने वश में कर लिया। मुझ पर भी नींद हावी हो गई। वर्णनकर्ता कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सेना को प्रस्थान का आदेश दिया और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद सवारी से उतरकर सुन्नत प्रार्थनाएँ अदा कीं और साथियों को प्रार्थना कराई। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम सारा दिन और सारी रात यात्रा करते रहे, यहाँ तक कि अगले दिन प्रातःकाल के समय आप तबूक पहुँच गए। इस अवधि में लिखा तो नहीं है, लेकिन प्रार्थनाओं के समय प्रार्थनाएँ अवश्य अदा की गई होंगी। उसके लिए विराम हुआ होगा। वहाँ जाकर, तबूक पहुँचकर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने साथियों को संबोधित किया। आपने खुदा की प्रशंसा और गुणगान किया। फिर कहा: हे लोगो! सबसे सत्य बात खुदा की पुस्तक है और सबसे मज़बूत कड़ी धार्मिक भय है, और सबसे उत्तम धर्म हज़रत इब्राहीम का धर्म है और सबसे उत्तम परंपरा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की परंपरा है, और सबसे उच्च बात खुदा का स्मरण है और सबसे उत्तम कथा यह कुरआन है और सबसे उत्तम कार्य वे हैं जो हृदय निश्चय से किए जाएँ, और सबसे बुरे कार्य नवाचार हैं, और सबसे उत्तम मार्गदर्शन पैगंबरों का मार्गदर्शन है और सबसे श्रेष्ठ मृत्यु शहादत की मृत्यु है, और सही मार्गदर्शन के बाद सबसे बड़ा अंधकार पथभ्रष्टता है, और सबसे उत्तम कर्म वे हैं जो लाभदायक हों, और सबसे उत्तम मार्गदर्शन वह है जिसका पालन किया जाए, और सबसे बुरा अंधकार हृदय का अंधकार है, नेतों का नहीं, जब खुदा की बातें समझ में न आएँ। फिर कहा कि ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है और जो थोड़े में गुज़ारा करने वाला हो, वह अधिक और लापरवाही कराने वाले से बेहतर है, और सबसे बुरा बहाना वह है जो मृत्यु के समय किया जाए और सबसे बड़ी लज्जा प्रलय के दिन होगी, और कुछ लोग शुक्रवार की प्रार्थना के लिए बहुत देर से आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छोड़-छोड़ कर खुदा का स्मरण करते हैं, और सबसे बड़े पापों में से एक पाप झूठी जुबान है, और सबसे उत्तम धन-दौलत तो हृदय की संपन्नता है। अर्थात् छोड़-छोड़कर प्रार्थना अदा करने और देर से आने वालों को भी आपने पसंद नहीं किया। आपने कहा, यह बहुत बुरी बात है। कहा कि बड़े पापों में से एक पाप झूठी जुबान है और सबसे उत्तम धन-दौलत तो हृदय की संपन्नता है, और सबसे उत्तम यात्रा-सामग्री धार्मिक भय है, और ज्ञान की पराकाष्ठा खुदा का भय है, और सबसे उत्तम बात वह है जो हृदयों में विश्वास को स्थापित करे, और संदेह करना अविश्वास का अंग है, और विलाप करना अज्ञानता का कर्म है, और विश्वासघात नरक की आग है, और बुरी कविता शैतान की ओर से है, और मदिरा पापों का संग्रह है, और स्त्रियाँ शैतान के जाल हैं, और यौवन उन्माद का एक अंग है, और सबसे बुरी कमाई ब्याज की कमाई है, और सबसे बुरा भोजन अनाथ का धन खाना है, और भाग्यशाली वह है जो दूसरों से सीख ले, और अभागा वह है जो माँ के गर्भ से ही अभागा हो, और तुममें से हर व्यक्ति चार हाथ जगह की ओर जाने वाला है, अर्थात् अंत में मरना ही है, कब्र में जाना है, और मामला परलोक पर निर्भर है, और काम का परिणाम अंत पर निर्भर है, और सबसे बुरे वर्णनकर्ता झूठे वर्णनकर्ता हैं, और जो आने वाला है वह निकट है, और मोमिन (विश्वासी) को गाली देना पाप है, और मोमिन से युद्ध करना अविश्वास है, और मोमिन की चुगली करना खुदा की अवज्ञा है, और उसके धन की पवित्रता उसके रक्त के समान है, और जो खुदा के समक्ष शपथ

खाएगा, वह उसका खंडन करेगा, और जो उससे क्षमा माँगेगा, वह उसे क्षमा कर देगा, और जो अपने भाई को क्षमा करेगा, खुदा उसे क्षमा कर देगा, और जो क्रोध को पी जाएगा, खुदा उसे पुरस्कार देगा, और जो विपदा पर धैर्य धरेगा, खुदा उसे उसका प्रतिफल देगा, और जो प्रसिद्धि चाहेगा, खुदा उसे प्रसिद्धि देगा, और जो धैर्य धरेगा, खुदा उसे दोगुना देगा, और जो खुदा की अवज्ञा करेगा, खुदा उसे दंड देगा। फिर आगे कहा:

हे खुदा! मुझे और मेरे अनुयायियों को क्षमा कर दे। हे खुदा! मुझे और मेरे अनुयायियों को क्षमा कर दे। हे खुदा! मुझे और मेरे अनुयायियों को क्षमा कर दे। आपने यह बात तीन बार दोहराई। फिर कहा, मैं खुदा से अपने और तुम सबके लिए क्षमा माँगता हूँ।

(अलबिदाया वन्निहाया लिब्रे कसीर खंड 5 पृष्ठ 15-14, ज़िक्र खतबतहु अलैहिस्सलाम इला तबूक इला नखला हुनाक, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 2001)(किताबुल मगाजी लिलवाकिदी खंड 3 पृष्ठ 1016-1015 आलेमुल कुतुब 1984) (सब्बुल् हुदा वल् इरशाद खंड 5 पृष्ठ 451 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1993)

तबूक यात्रा में नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने साथियों को कुछ उपदेश भी दिए। तबूक यात्रा में नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अनेक अवसरों पर साथियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उपदेश दिए, जिनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वर्णन किया कि तबूक के वर्ष नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अपने वाहन पर टेक लगाए हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपने कहा, क्या मैं तुम्हें सबसे उत्तम और सबसे निकृष्ट लोगों के बारे में न बताऊँ? निश्चित रूप से लोगों में सबसे उत्तम व्यक्ति वह है जो अपने घोड़े या ऊँट की पीठ पर सवार होकर या पैदल ही खुदा के मार्ग में कार्य करता रहे, यहाँ तक कि उसे मृत्यु आ जाए, और निश्चित रूप से लोगों में सबसे निकृष्ट वह पापी व्यक्ति है जो खुदा की पुस्तक तो पढ़ता है किंतु अपनी अज्ञानता को छोड़कर उसकी किसी बात की ओर नहीं मुड़ता। (सुननुन नसाई, किताबुल जिहाद, अध्याय: फज़लुल मन अमिला फी सबीलिल्लाह अला क्रदमहु, हदीस 3108) अब देखिए, आजकल बहुत से लोग कुरआन पढ़ने का दावा करते हैं किंतु आचरण कोई नहीं करता।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने तबूक में साथियों को संबोधित करते हुए कहा: लोगों में वह व्यक्ति अद्वितीय है जो अपने घोड़े पर सवार होकर खुदा के मार्ग में संघर्ष करता हो और लोगों की बुराई से बचा रहता हो, और दूसरा वह व्यक्ति अतुलनीय है जो अपनी उदारता और समृद्धि में प्रसिद्ध हो और अपने अतिथि का आदर-सत्कार करता हो तथा उसका अधिकार देता हो।

(मसनदुल इमाम अहमद बिन हंबल खंड 1 पृष्ठ 602, मुसनद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस 1987, मुद्रित: आलेमुल कुतुब बैरूत लुबनान 1998 से उद्धृत)

इस अवसर पर हिरक़ल (हेराक्लियस) को इस्लाम के आह्वान के लिए पत्र का भी उल्लेख मिलता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तबूक पहुँचे, तो हिरक़ल अर्थात् रोमन सम्राट (उसका नाम हेराक्लियस था) उस समय हिम्स में था। आपने कहा, जो मेरा पत्र सम्राट तक ले जाएगा, उसके लिए स्वर्ग है। एक व्यक्ति ने निवेदन किया कि यदि वह इस पत्र को स्वीकार न भी करे। आपने कहा, वह स्वीकार न भी करे तो भी, बस लेकर जाओ। इसलिए वह व्यक्ति आपका पत्र लेकर गया और हिरक़ल को दे दिया। उसने उसे पढ़ा और कहा, तुम अपने पैगंबर के पास चले जाओ और उसे बता दो कि मैं उसका अनुयायी हूँ, किंतु मैं अपना साम्राज्य नहीं छोड़ना चाहता। उसने कुछ सोने के सिक्के भी आपकी सेवा में भेजे। वह व्यक्ति वापस आया। आपको इसकी सूचना दी गई तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा कि उसने झूठ बोला है। उसने यह

सच्ची बात नहीं की, और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सोने के सिक्के लोगों में बाँट दिए।

(सब्बुल् हुदा वल् इरशाद खंड 5 पृष्ठ 457, दारुल कुतुब इल्मिया 1993)

यह पत्र हज़रत दिह्या रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ हिरक़ल के पास गया। यह उस पत्र के अतिरिक्त है जो नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत दिह्या के हाथ छह हिजरी के अंत में भिजवाया था, जो मुहर्रम सात हिजरी में उसे मिला।

(शरहुल अल्लामा अज़्ज़रक़ानी अला अलमवाहिबिल लदुन्निय्या खंड 4 पृष्ठ 94 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1996 से उद्धृत)

इमाम इब्ने हज़र ने युद्ध-वृत्तांत और जीवनी की परंपराओं के आधार पर इस विचार का प्रकट किया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तबूक में थे, तो आपने सम्राट आदि को दूसरी बार पत्र लिखे।

(फतहुल बारी खंड 8 पृष्ठ 161 क़दीमी कुतुब खाना)

उनके विचार की पुष्टि उन पत्रों से भी होती है जो पुस्तक के रूप में 1941 में प्रकाशित हुए हैं। इस पुस्तक का नाम 'मजमूआतुल वसाइकुस्सियासिया लिलअहदिन्नबवी वलखिलाफतुर्राशिदा' है। इसके लेखक डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं। इसमें पैगंबर काल से लेकर न्यायसंगत खलीफ़ाओं के समय तक के ऐतिहासिक और राजनीतिक दस्तावेजों का उल्लेख है। यह पुस्तक पहली बार मिस्र से 1941 में प्रकाशित हुई थी। वैसे यह इस पुस्तक का संदर्भ है और इसके अनुसार रोमन सम्राट को दो पत्र भेजे गए थे। पहले पत्र में यह था कि वह अपनी प्रजा के इस्लाम स्वीकार करने में बाधा न बने, अन्यथा उसकी प्रजा के पाप का भार भी उसी पर होगा, और यह पत्र सम्राट को छह हिजरी के अंत में दिह्या कलबी के हाथ भेजा गया था, जबकि दूसरे पत्र में था कि इस्लाम स्वीकार कर लो, अन्यथा इन्कार की स्थिति में कर देना होगा। यह पत्र भी नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत दिह्या के हाथ तबूक युद्ध के समय सम्राट की ओर भेजा था। (मजमूआतुल वसाइकुस्सियासिया लिलअहदिन्नबवी वलखिलाफतुर्राशिदा, खंड 1 पृष्ठ 107 से 110 दारुनफ़ाइस 1987) (रसूल-ए-अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की राजनीतिक जीवनी, मुहम्मद हमीदुल्लाह, पृष्ठ 166, 158 दारुल इशाअत कराची 2003)

इतिहास में ऐलह के निवासियों से समझौते का उल्लेख मिलता है। इसके विवरण में लिखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तबूक तक पहुँच गए, तो आसपास के ईसाई शासक भयभीत हो गए और खुदा ने उन पर ऐसा भय व्याप्त कर दिया कि जो अभी कुछ समय पहले तक मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, अब उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित होकर शांति की प्रार्थना करने लगे। इनमें सबसे पहले ऐलह का शासक सेवा में उपस्थित हुआ। ऐलह लाल सागर के तट पर सीरिया के निकट एक छोटा सा नगर है। यह हिजाज़ की अंतिम सीमा और सीरिया भूमि के आरंभ में स्थित है। तबूक में ठहरने के दौरान ऐलह का शासक युहन्ना बिन रूबा नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ सीरिया, यमन, समुद्र तटवासी और जरबा तथा अज़रुह के निवासी भी आए और उन्होंने भी समझौते की प्रार्थना की। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उनके लिए एक सुरक्षा-पत्र लिखवाया। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने लिखवाया: "खुदा तआला के नाम से, जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। यह खुदा और उसके पैगंबर तथा रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ओर से युहन्ना बिन रूबा और ऐलह के निवासियों की समुद्र में चलने वाली नौकाओं और उनके स्थल पर आने-जाने वाले काफिलों के लिए सुरक्षा-पत्र है। उन्हें खुदा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ओर से पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार उनके साथ सीरिया, यमन और समुद्र

तटवासियों को भी पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जिसने भी कोई उल्लंघन किया, उसका धन जब्त करना वैध होगा। जिसने भी ऐसे व्यक्ति का धन छीन लिया, अर्थात् उल्लंघन करने वाले का, तो वह उसके लिए वैध होगा, और उन्हें न तो किसी स्रोत या कुएँ के जल के उपयोग से रोका जाएगा और न ही स्थल या जल के किसी मार्ग से उन्हें रोका जाएगा।"

(अत्तबक्रातुल कुब्रा लिब्रे सअद खंड 1 पृष्ठ 221, ज़िक्र बेअसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रूसुल बिकुतुबिही इलल मुलूक, दारुल कुतुब इल्मिया 1990 से उद्धृत)(दाइरा मआरिफ़ सीरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम खंड 9 पृष्ठ 543-542 प्रकाशक: बज़्म-ए-इक्रबाल लाहौर 2022)(फ़रहंग-ए-सीरत पृष्ठ 50, ज़वार अकैडमी पब्लिकेशंस कराची 2003)

ऐलह के निवासियों और युहन्ना बिन रुबा के लिए यह सुरक्षा-पत्र हज़रत जुहैम बिन सलत और हज़रत शूरहबील बिन हसना ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के आदेश पर लिखा था।

(अत्तबक्रातुल कुब्रा लिब्रे सअद खंड 1 पृष्ठ 221, ज़िक्र बेअसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रूसुल बिकुतुबिही इलल मुलूक, दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 1990)

युहन्ना ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को एक सफेद खच्चर उपहार में दिया और आपको पहनने के लिए एक चादर भेंट की।

(सहीहुल बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय: ख़रसुत्तमर, हदीस 1481)

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उसे यमनी चादर ओढ़ाई और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उसे ठहराने का आदेश दिया।

(शरहुल अल्लामा अज़्ज़रक़ानी अला अलमवाहिबिल लदुन्निय्या खंड 4 पृष्ठ 91, सुम्मा ग़ज़वा तबूक, दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 1996) फिर मक़ना के निवासियों से शांति समझौता हुआ। मक़ना के निवासी यहूदी थे और यह बस्ती समुद्र तट पर ऐलह के निकट बसी हुई थी।

(फ़रहंग-ए-सीरत पृष्ठ 283 ज़वार अकैडमी पब्लिकेशंस कराची 2003 से उद्धृत) (सब्लुल हुदा वल् इरशाद खंड 5 पृष्ठ 494 दारुल कुतुब इल्मिया 1993)

ये भी नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुए। आपने उन्हें भी सुरक्षा-पत्र लिख कर दिया कि "वे खुदा और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुरक्षा में हैं और उनपर अपने काते हुए सूत और वस्त्र का तथा अपने फलों का चौथाई भाग कर के रूप में देना है।"

(अत्तबक्रातुल कुब्रा लिब्रे सअद खंड 1 पृष्ठ 221, वर्णन बेअसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रूसुल बिकुतुबिही इलल मुलूक, दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 1990)

इसी प्रकार जरबा और अज़रुह के निवासियों के लिए सुरक्षा-पत्र का भी उल्लेख मिलता है। जरबा और अज़रुह ये दोनों सीरिया देश में बलक़ा के क्षेत्र में दो नगर थे जो परस्पर बिल्कुल निकट थे। उनके बीच केवल तीन मील की दूरी थी, जबकि एक कथन के अनुसार एक मील से भी कम दूरी थी।

(मुआज़्ज़मुल बुलदान खंड 1 पृष्ठ 157 दारुल कुतुब इल्मिया) (शरहुल अल्लामा अज़्ज़रक़ानी अला अलमवाहिबिल लदुन्निय्या खंड 4 पृष्ठ 91 दारुल कुतुब इल्मिया 1996)

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जरबा और अज़रुह के निवासियों को भी सुरक्षा-पत्र लिख कर प्रदान किया कि "यह पत्र खुदा के पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ओर से जरबा और अज़रुह के निवासियों के नाम है। ये लोग खुदा और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुरक्षा में हैं। उनपर प्रत्येक वर्ष रजब माह में शुद्ध सोने के पूरे एक सौ सिक्के कर के रूप में अदा करना अनिवार्य है। खुदा ही उनका रक्षक है।"

(अत्तबक्रातुल कुब्रा लिब्रे सअद भाग 1 पृष्ठ 221 दारुल कुतुब

इल्मिया 1990 से उद्धृत)

तबूक युद्ध के संदर्भ में एक सैन्य अभियान का भी उल्लेख मिलता है। यह अभियान हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ओर से उकैदिर बिन अब्दिल मलिक के विरुद्ध कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने तबूक में ही हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को रजब नौ हिजरी में चार सौ बीस घुड़सवारों की एक सेना देकर उकैदिर बिन अब्दिल मलिक की ओर दूमतुल जंदल रवाना किया। दूमतुल जंदल सीरिया और मदीना के बीच एक किला और बस्ती है जो मदीना मुनव्वरा से पंद्रह से सोलह दिन की यात्रा पर स्थित है।

(फ़रहंग-ए-सीरत पृष्ठ 123 ज़वार अकैडमी पब्लिकेशंस कराची 2003) तबूक से चार सौ किलोमीटर की दूरी पर यह किला था।

(अल्लुलुलुल मकनून सीरत इनसाइक्लोपीडिया, खंड 9 पृष्ठ 526)

उकैदिर बनु किन्दा कबीले से था और उसका राजा था। वह ईसाई था।

(अत्तबक्रातुल कुब्रा लिब्रे सअद खंड 2 पृष्ठ 126-125 दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत लुबनान 1990)

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम उसे रात के समय देखोगे जब वह गाय का शिकार कर रहा होगा, तो तुम उसे पकड़ लेना, अर्थात् खुदा ने यह दृश्य नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को दिखाया था कि यह दशा होगी और उस समय तुम आक्रमण करोगे तो पकड़ लोगे। फिर कहा कि खुदा तुम्हारे लिए दूमतुल जंदल विजय करा देगा। यदि तुम उस पर विजय पा लो तो उसे मत मारना, उसे मेरे पास ले आना। यदि वह इन्कार करे, युद्ध करे तो फिर उसे मार देना। हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की प्रस्थान के बारे में लिखा है। हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस ओर रवाना हुए और उस किले के इतने निकट पहुँचे कि सामने वह दिखाई देने लगा। चाँदनी रात थी। उकैदिर अपनी पत्नी रिबाब बिनत उनैफ किन्दिया के साथ छत पर था, तो एक जंगली गाय आई। वह अपने सींगों से किले के द्वार को मारने लगी। उकैदिर की पत्नी ने उससे कहा, क्या तुमने कभी ऐसी घटना देखी है कि जंगल से गाय इस प्रकार आकर महल के द्वार पर अपने सींगों से टक्करें मारे? उकैदिर ने कहा, खुदा की शपथ! मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इस पर उस स्त्री ने कहा: इसे कौन छोड़ सकता है? तो उसने कहा, कोई भी नहीं। राजा ने कहा, मैं अभी शिकार करके लाता हूँ। इसलिए वह उतरा और अपने घोड़ों पर सवार होने का आदेश दिया। उसके साथ उसके परिवार का एक समूह भी सवार हुआ। उनमें हस्सान नाम का उसका एक भाई भी था। फिर वह सवार हुआ और वे उसके साथ उस गाय का पीछा करते निकले। निर्भीक ये शिकारी शिकार के पीछे जा रहे थे कि सामने से अचानक हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का घुड़सवार दल प्रकट हुआ और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उकैदिर को बंदी बना लिया गया, किंतु हस्सान ने बंदी बनने से इन्कार किया और प्रतिरोध किया। आगे से लड़ाई की। इस पर उसे मार दिया गया।

(सब्लुल हुदा वल् इरशाद खंड 6 पृष्ठ 221, 220 दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 1993 से उद्धृत)

हस्सान मारा गया। उसके सिर पर दीबाज अर्थात् मोटी रेशमी चादर थी जिसमें सोने की तारें लगी हुई थीं। ख़ालिद बिन वलीद ने इस चादर को नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में भेज दिया और फिर स्वयं उकैदिर को लेकर रवाना हुए।

(तारीखुत्तबरी खंड 2 पृष्ठ 185 दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 1987)

इसके विवरण में और लिखा है कि जब उकैदिर बंदी बना लिया गया और उसका भाई हस्सान मार दिया गया, तो हज़रत ख़ालिद ने उकैदिर से कहा, क्या मैं तुम्हें इस शर्त पर सुरक्षा न दूँ कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सेवा में प्रस्तुत कर दूँ और तुम मुझे दूमतुल जंदल विजय करा दो। उकैदिर ने कहा, हाँ। इस पर हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसे लेकर चले, यहाँ तक कि किले के निकट आ गए। उकैदिर ने

अपने परिवार को आवाज़ दी कि द्वार खोलें। जब उन्होंने द्वार खोलने का इरादा किया तो उकैदिर के भाई मुज़ाद ने इन्कार कर दिया। उकैदिर ने हज़रत ख़ालिद से कहा, तुम जान गए हो कि वे इसलिए द्वार नहीं खोल रहे कि उन्होंने वे बेड़ियाँ देख ली हैं जो तुमने मुझे पहनाई हुई हैं। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें खुदा और विश्वास के नाम पर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए किले का द्वार खोल दूँगा, बशर्ते कि तुम मेरे परिवार पर मुझसे शांति कर लो। हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शांति कर लूँगा। उकैदिर ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें मध्यस्थ बना लेता हूँ और यदि चाहो तो तुम मुझे मध्यस्थ बना लो। हज़रत ख़ालिद ने कहा, हम तुमसे वही स्वीकार करेंगे जो कुछ तू देगा। इसलिए हज़रत ख़ालिद ने उसे छोड़ दिया। उकैदिर ने किले का द्वार खोल दिया। उकैदिर के भाई मुज़ाद को भी बंदी बना लिया गया और वे सब वस्तुएँ प्राप्त कर ली गईं जिन पर शांति हुई थी।

(सब्लुल् हुदा वल् इरशाद खंड 6 पृष्ठ 221 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1993 से उद्धृत)

मुसलमानों को इस युद्ध में दो हज़ार ऊँट, आठ सौ दास, चार सौ कवच और चार सौ भालें प्राप्त हुए। इस युद्ध-लब्ध धन में से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाँचवाँ भाग अलग करके शेष धन साथ गए योद्धाओं में बाँट दिए गए।

उकैदिर और उसके भाई का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित होने का भी उल्लेख मिलता है और यह इस प्रकार मिलता है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि जब हज़रत ख़ालिद उकैदिर को लेकर आए तो मैंने उसे देखा। उसने सोने की क़ूस और रेशमी वस्त्र पहन रखा था। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दर्शन किए तो वह आपके सामने साष्टांग प्रणाम करने लगा। आपने दो बार कहा, नहीं नहीं, यह प्रणाम नहीं करना। उसने कुछ वस्तुएँ आपको उपहार स्वरूप प्रस्तुत कीं जिनमें एक सजावट का कपड़ा और खच्चर थे। कर के बदले आपने शांति कर ली। इब्ने असीर के अनुसार उनका कर तीन सौ सोने के सिक्के था। उसका और उसके भाई का रक्त क्षमा कर दिया गया और उन्हें मुक्त कर दिया गया। आपने उनके लिए सुरक्षा-पत्र लिखवाया। उन शर्तों को लिखवाया जिन पर शांति हुई थी।

सुरक्षा-पत्र यह था: "खुदा तआला के नाम से, जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। यह पत्र मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से हज़रत ख़ालिद के साथ उकैदिर के लिए है, जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और मूर्तियों से अपना संबंध तोड़ लिया। इसके अनुसार उसने तो इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ये आदेश दूमतुल जंदल और उसके आसपास के लोगों के लिए हैं। हमारे लिए वह भूमि जो कृषि योग्य न हो, बंजर भूमि, शस्त्र और ऊँट और किले होंगे, अर्थात् जो वे वस्तुएँ थीं वे मुसलमानों को मिलेंगी, जबकि शहर के भीतरी भाग की खजूरें, स्रोतों वाली आबाद भूमि यह तुम्हारे लिए होगी। पृथक् पशुओं की गिनती नहीं की जाएगी। तुम्हें यहाँ अपने पशु चराने से नहीं रोका जाएगा। तुम समय पर प्रार्थना अदा करोगे। पूरा कर दोगे। खुदा का तुम्हारे साथ यह वचन है। तुम्हारे लिए सच्चाई और निष्ठा आवश्यक है। खुदा और उपस्थित मुसलमान इस पर गवाह हैं।"

(अत्तबक़ातुल कुब्रा लिब्रे सअद खंड 2 पृष्ठ 126 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1990)

(सब्लुल् हुदा वल् इरशाद खंड 6 पृष्ठ 222-221 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1993)

तबूक के अवसर पर एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की मृत्यु का भी उल्लेख मिलता है और उसके दफ़नाने का भी उल्लेख मिलता है, जिसे देखकर कुछ बड़े सहाबियों ने इच्छा की कि काश! इस दफ़न होने वाले के स्थान पर वे स्वयं होते। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि मैं तबूक युद्ध में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था। एक बार मैं आधी रात के समय उठा तो मैंने सेना के एक ओर आग की लौ देखी। इसलिए मैं उस ओर गया कि देखूँ क्या है? तो क्या

देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और मैंने देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह जुल्बिजादैन मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की मृत्यु हो चुकी है और ये लोग उनकी कब्र खोद चुके थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कब्र के भीतर थे, जबकि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर उनका शव आपको दे रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कह रहे थे कि तुम दोनों इस अपने भाई को मेरे निकट करो। फिर उन दोनों ने हज़रत अब्दुल्लाह जुल्बिजादैन के शव को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथों में दिया।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथों से उस शव को कब्र में रखा और फिर आपने प्रार्थना की: "हे खुदा! मैंने शाम इस अवस्था में की है कि मैं उससे प्रसन्न था, अतः तू भी उससे प्रसन्न हो जा।" हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद बताते हैं कि मैंने उस समय कामना की कि काश! यह कब्र में उतारा जाने वाला मैं होता और यह प्रार्थनाएँ प्राप्त करता।

(अस्सीरतुन्नबविय्या लिब्रे हिशाम पृष्ठ 822 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 2001)

हज़रत अब्दुल्लाह जुल्बिजादैन का संबंध बनू मुज़ैना कबीले से था। ये अभी छोटे ही थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। इन्हें विरासत में से कुछ भी न मिला। इनके चाचा धनी थे। उस चाचा ने इनका पालन-पोषण किया, यहाँ तक कि ये भी धनी हो गए और उनके साथ व्यापार शुरू कर दिया। और मक्का विजय के बाद इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। जब इस्लाम स्वीकार कर लिया तो इनके चाचा ने इनसे सब कुछ ले लिया, सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि इनकी लंगोट भी खींच ली, कमर बाँधने का कपड़ा भी ले लिया। फिर इनकी माता आई और उन्होंने अपनी चादर को दो भागों में बाँटा और हज़रत अब्दुल्लाह ने एक भाग को लंगोट के रूप में इस्तेमाल कर लिया और दूसरे भाग को अपने ऊपर ओढ़ लिया। फिर ये मदीना आए और मस्जिद में लेट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ प्रातः की प्रार्थना पढ़ी। ये कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प्रातः की प्रार्थना से निवृत्त होते थे तो लोगों को ध्यान से देखते थे कि कौन लोग हैं। कोई नया व्यक्ति है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह की ओर देखा तो उन्हें अपरिचित समझा और हज़रत अब्दुल्लाह से पूछा, तुम कौन हो? हज़रत अब्दुल्लाह ने अपना वंश बताया। एक परंपरा में उल्लेख है कि आपने निवेदन किया कि मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, तुम अब्दुल्लाह जुल्बिजादैन अर्थात् दो चादरों वाले हो। फिर कहा, तुम मेरे निकट रहा करो। इसलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अतिथियों में शामिल हो गए और आप उन्हें कुरआन सिखाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत-सा कुरआन याद कर लिया। जब आप तबूक की ओर रवाना हुए तो उन्होंने निवेदन किया: हे खुदा के रसूल! मेरे लिए शहादत की प्रार्थना करें। आपने प्रार्थना की कि हे खुदा! मैं इसके रक्त को अविश्वासियों पर वर्जित करता हूँ। उन्होंने निवेदन किया, हे खुदा के रसूल, मेरा इरादा यह तो नहीं था। आपने कहा: यदि तुम खुदा के मार्ग में संघर्ष के लिए निकलो और तुम्हें बुखार हो जाए जिसके कारण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तो भी तुम शहीद हो। यदि तुम्हारा वाहन तुम्हें गिरा दे जिसके कारण तुम्हारी गर्दन टूट जाए, तो भी तुम शहीद हो। यह परवाह न करो कि शहादत किस प्रकार मिलती है। इसलिए तबूक पहुँचने के कुछ दिन बाद ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

(ओसोदुल् गाबा खंड 3 पृष्ठ 229 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 2003)(सब्लुल् हुदा वल् इरशाद खंड 5 पृष्ठ 460-459 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत 1993 से उद्धृत)

हज़रत मुआविया बिन मुआविया मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की प्रार्थना-ए-अंतिम संस्कार का भी इस यात्रा में उल्लेख मिलता है। हज़रत अनस

बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तबूक में थे कि जिब्राईल आए और कहने लगे, हे खुदा के रसूल! मुआविया मुज़नी की मृत्यु मदीना में हो गई है। आपको खुदा ने जिब्राईल के माध्यम से सूचना दी है। उनकी प्रार्थना-ए-अंतिम संस्कार पढ़ें। फिर अदृश्य रूप से उनकी चारपाई जिस पर उनका शव था, हवा में उठा ली गई और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की आँखों के सामने आ गई। आपने प्रार्थना-ए-अंतिम संस्कार अदा की। आपके सामने देवदूतों की पंक्तियाँ भी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जिब्राईल से पूछा: यह पद उसे कैसे प्राप्त हुआ? यह जो इतना उसे लाया गया है और मुझसे कहा गया है प्रार्थना-ए-अंतिम संस्कार पढ़ो। जिब्राईल ने उत्तर दिया कि सूर: "कुल हुवल्लाहु अहद" से प्रेम करने के कारण। वे उठते-बैठते, सवार और पैदल, हर अवस्था में उसका पाठ करते थे।

(सब्बुल हुदा वल् इरशाद खंड 5 पृष्ठ 456 दारुल कुतुब इल्मिया 1993)

(ओसोदुल् गाबा खंड 5 पृष्ठ 207-206 दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 2003 से उद्धृत)

अब यह भी उल्लेख मिलता है कि तबूक में पहुँचने के बाद और अग्रसर होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने साथियों से परामर्श किया।

इसका विवरण यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अग्रसर होने के विषय में साथियों से परामर्श किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने निवेदन किया, हे खुदा के रसूल! यदि आपको आगे बढ़ने का आदेश है तो ठीक है, आप अवश्य चलिए, हम साथ चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहा कि यदि मुझे आगे जाने का आदेश खुदा की ओर से होता तो मैं तुमसे परामर्श न करता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर यह निवेदन किया कि हे खुदा के रसूल! रोमन लोगों के पास बहुत-सी सेनाएँ हैं। उनमें इस्लाम वालों में से कोई भी नहीं है। हम उनके निकट आ गए हैं। आपका निकट आना ही उन्हें भयभीत कर गया है। हम इस वर्ष वापस चले जाते हैं, यहाँ तक कि कोई राय बना लें या खुदा कोई स्थिति उत्पन्न कर दे। (सब्बुल हुदा वल् इरशाद खंड 5 पृष्ठ 462-461 दारुल कुतुब इल्मिया 1993) वैसे इस बात को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने तबूक में बीस दिन ठहरने का निर्णय लिया और फिर वापस जाने का निर्णय किया (सुनन अबी दाऊद, किताबुस्सलाह, अध्याय: इज़ा इक्राम बि-अर्दिल अदुव युक्रस्सिर, हदीस 1235) और एक अन्य कथन के अनुसार आपने बीस से कम दिन तबूक में ठहरने का निर्णय लिया। इन दो भिन्न परंपराओं में समन्वय किया गया है। बीस वाले कथन में तबूक पहुँचने और तबूक से प्रस्थान करने वाले दो दिन भी गिने गए हैं, जबकि दूसरे कथन में ये दोनों दिन गिने नहीं गए।

(शरहुल अल्लामा अज़्ज़रक़ानी अला अलमवाहिबिल लदुन्निय्या खंड

4 पृष्ठ 96 दारुल कुतुब इल्मिया बैरुत 1996)

मदीना से प्रस्थान और मदीना वापसी तक दो माह या उससे अधिक समय लगा है। इसलिए इब्ने सअद के अनुसार रजब 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम इस युद्ध के लिए रवाना हुए और रमज़ान 9 हिजरी में मदीना वापस आए। इन दोनों के बीच में शाबान का माह है। इस प्रकार दो माह या उससे अधिक समय तक नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मदीना से बाहर रहे। खुदा सर्वज्ञानी है।

(अत्तबक्रातुल कुब्रा लिब्ने सअद खंड 2 पृष्ठ 126-125 दारुल कुतुब

इल्मिया 1990 से उद्धृत)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसकी व्याख्या फरमाई है कि "जब आप सीरिया के निकट तबूक स्थान पर पहुँचे, तो आपने इधर-उधर व्यक्ति भेजे ताकि वे जानें कि वास्तविकता क्या है और ये प्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह समाचार लाए कि कोई सीरियाई सेना उस समय एकत्र नहीं हो रही है।" हज़रत उमर ने भी यही कहा था कि कोई युद्ध के लिए तो

आ नहीं रहा है और आसपास के कुछ क्षेत्र अभी भयभीत हैं, तो फिर युद्ध की आवश्यकता क्या है।" इस पर कुछ दिन नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम वहाँ ठहरे और आसपास के कुछ कबीलों से समझौते करके बिना लड़ाई के वापस आ गए। यह कुल यत्ना आपकी ढाई माह की थी।"

(दीबाचा तफसीरुल कुरआन, अन्वारुल उलूम खंड 20 पृष्ठ 362)

इससे वापसी, मदीना तक आने की यात्रा की व्याख्या एवं विवरण खुदा ने चाहा तो आगे।

बांग्लादेश के बारे में मैंने पहले भी प्रार्थना के लिए कहा था। वहाँ मौलवी वर्ग, अहमदियत विरोधी वर्ग काफ़ी कोलाहल मचा रहा है। कल उनकी एक सभा भी है, शायद, तो उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। खुदा प्रत्येक अहमदी को सुरक्षित रखे, उनके अनिष्ट से बचाए। इसी प्रकार पाकिस्तान के अहमदियों के लिए भी प्रार्थना करें, खुदा उन्हें भी सुरक्षित रखे। अब बहुत अधिक प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। जब विरोधियों को किसी भी प्रकार से दबाया जाता है, कानूनी रूप से भी यदि दबाया जाता है, तो उनका दबाव अहमदियों पर आकर टूटता है। इसलिए अहमदियों को अधिक प्रार्थनाओं की ओर और सावधानी की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार फिलिस्तीनियों के लिए भी प्रार्थना करें। समझौतों के बावजूद, युद्ध-विराम के बावजूद उनका इसी प्रकार वध हो रहा है। खुदा दया करे। इसी प्रकार अफ्रीका के अहमदियों के लिए प्रार्थना करें, उनमें भी कुछ स्थानों पर सरकारें उन पर अत्याचार कर रही हैं, कुछ स्थानों पर आतंकवादी विभिन्न स्थानों पर आक्रमण कर रहे हैं और कभी-कभी अहमदी भी उससे प्रभावित हो जाते हैं।

खुदा तआला संपूर्ण संसार में शांति और सुरक्षा स्थापित करे

प्रार्थनाओं के बाद मैं एक अनुपस्थित अंतिम संस्कार की प्रार्थना भी कराऊंगा जो मुहम्मद हुसैन साहब पुत्र मुहम्मद इस्माईल साहब, रब्बाह का है, जो पिछले दिनों अस्सी वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। निस्संदेह हम खुदा के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है। मृतक वसीयत करने वाले थे और जीवन में ही संपत्ति का हिस्सा अदा कर दिया था। उत्तरजीवियों में पत्नी के अतिरिक्त तीन पुत्रियाँ और चार पुत्र हैं। आपके पुत्र मुहम्मद उमरान साहब नाइजर में धर्मप्रचारक हैं और वहाँ पश्चिमी अफ्रीका में सेवा की सफलता पा रहे हैं और कार्यक्षेत्र में होने के कारण पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सके। इसी प्रकार एक अन्य पुत्र भी जीवन-समर्पित हैं, जो शिक्षक हैं, मुहम्मद लुक्रमान साहब। उनके परिवार में अहमदियत 1956 में उनके पिता मुहम्मद इस्माईल साहब के माध्यम से आई थी और फिर ये दो वर्ष बाद रब्बाह स्थानांतरित हो गए। स्वयं मृतक उपवास और प्रार्थना के पालनकर्ता, कुरआन का नियमित पाठ करने वाले, रात्रि प्रार्थना करने वाले, सदाचारी, निष्ठावान, प्रार्थनारत मनुष्य थे। शिक्षक मुहसिन तैयब साहब लिखते हैं कि मुझे उनके मोहल्ले में पाँच वर्ष सेवा का अवसर मिला। एक बात जो उनमें प्रमुख मैंने देखी, वह यह थी कि आर्थिक बलिदान में बहुत आगे थे। जब भी किसी अभियान का, नए वर्ष का आरंभ होता, तो उनकी कोशिश होती कि पहली रसीद उनकी कटे। कभी-कभी तो घोषणा से पूर्व ही चंदे के लिए धन देने की कोशिश करते थे और ऐसे ही कभी-कभी जब वर्ष के अंत में अतिरिक्त चंदे के लिए कहा जाता, तो यथासामर्थ्य फिर अतिरिक्त भुगतान भी कर देते थे। खुदा उन्हें क्षमा और दया का व्यवहार करे, शोकाकुल परिजनों को धैर्य और साहस प्रदान करे, और विशेष रूप से उनके जो पुत्र बाहर हैं, उन्हें खुदा धैर्य दे, साहस दे और उनकी सत्कर्मों को जारी रखने की सफलता दे।

(मुद्रित: अल्-फ़ज़ल इंटरनेशनल, 5 दिसंबर 2025, पृष्ठ 2 से 7)



## इस्लाम में समानता की शिक्षा

(हाफ़िज़ सय्यद रसूल साहब मुरब्बी सिल्सिला)

पूरी दुनिया में 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 'सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में स्वीकार की गई थी। इसमें 30 अनुच्छेद (Articles) हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपने सिद्धांतों और नियमों को लागू कराने में असफल हो रहा है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देशों में मानवाधिकारों का हनन जारी है और आज भी अनगिनत मनुष्य अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृत अनुच्छेदों पर निष्पक्ष और समान रूप से अमल नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र भी असफल साबित होगा। इस संबंध में हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं:

"प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद कुछ देशों के नेताओं की यह इच्छा थी कि भविष्य में अच्छे और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हों। इसलिए विश्व शांति की स्थापना के एक प्रयास के रूप में राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य दुनिया में शांति स्थापित करना और भविष्य में युद्धों को रोकना था। दुर्भाग्य से इस संघ के सिद्धांतों और इसके प्रस्तावों में कुछ कमियाँ और दोष थे। इसलिए वह सभी राष्ट्रों के अधिकारों का सही रूप में समान रूप से संरक्षण नहीं कर सका। इस असमानता का परिणाम यह निकला कि स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी। संघ के प्रयास विफल हो गए और इसके सीधे परिणाम के रूप में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। इसके बाद जो अभूतपूर्व विनाश और तबाही हुई, हम सब उससे परिचित हैं, जिसमें लगभग सात करोड़ पचास लाख लोगों ने अपनी जान गँवा दी, जिनमें एक बड़ी संख्या निर्दोष नागरिकों की थी। यह युद्ध दुनिया की आँखें खोलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप ऐसी नीतियाँ बननी चाहिए थीं जिनके माध्यम से न्याय के आधार पर सभी पक्षों को उनके वाजिब अधिकार मिलते। और इस तरह यह संगठन विश्व शांति की स्थापना का एक साधन साबित होता। उस समय की सरकारों ने निस्संदेह एक सीमा तक शांति स्थापना के प्रयास किए और इस तरह संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। हालाँकि, शीघ्र ही यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि संयुक्त राष्ट्र का उच्च और बहुत महत्वपूर्ण मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। वास्तव में आज कुछ सरकारें ऐसे खुलकर बयान देती हैं जिनसे इसकी विफलता साबित होती है।"

(विश्व संकट और शांति का मार्ग, भाषण 4, पृष्ठ 75-74)

इस्लाम वह पहला धर्म है जिसने चौदह सौ वर्ष पूर्व न केवल मुसलमानों को बल्कि सभी मनुष्यों को मौलिक अधिकार समान रूप से प्रदान किए थे।

अनुयायियों के भेजे जाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य

सच्चा सृष्टिकर्ता सृष्टि के आरंभ से ही अनुयायी भेजता रहा है। जो बंदों को अल्लाह तआला की उपासना और उसकी सृष्टि के साथ दया की शिक्षा और परवरिश देते रहे। ताकि समाज में मौजूद सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो सकें। यह तभी होगा जब लोगों में शिष्टता, सभ्यता, साहस, सहनशीलता, हमदर्दी, उदारता और अन्य उच्च नैतिक गुण पैदा होंगे। इसलिए दुनिया के सभी धार्मिक नेताओं ने एक स्वर में यही पाठ पढ़ाया कि सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, न्याय और इंसाफ़ नेकी है और अत्याचार व ज़्यादाती बुराई है, प्रेम और स्नेह के साथ परस्पर जीवन व्यतीत करना मानवीय श्रेष्ठता है, एक-दूसरे से घृणा और दुश्मनी पशुवृत्ति है, दान और भलाई नेकी है और चोरी और डकैती बुराई है इत्यादि। लेकिन धर्म इस्लाम तो सबसे उच्च स्थान और पद पर विराजमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगमन का उद्देश्य इन शब्दों में बयान फ़रमाया है: 'बुइसतु लि-उतम्मिमा मकारिमल अख़लाक' अर्थात् मैं उत्तम नैतिक गुणों की पूर्णता के लिए भेजा गया हूँ। निस्संदेह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तम नैतिकता के श्रेष्ठ नमूने कायम किए और प्रत्येक चरित्र को उसकी पराकाष्ठा तक पहुँचाया। इसीलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने भी पवित्र कुरआन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र की इस रंग में गवाही दी: 'व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम' (सूर: अल्-कलम: 5) अर्थात् हे नबी! निश्चय ही तुम अत्यंत उच्च चरित्र पर स्थित हो। मक्का के काल के आरंभ में हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हो

ने अपने भाई को नए पैग़म्बर की परिस्थितियों और शिक्षाओं की जाँच के लिए भेजा तो उन्होंने वापस जाकर इस बारे में अपने भाई को जो सूचना दी वह यह थी: 'रअयतुहू या'मुरु बि-मकारिमल अख़लाक' अर्थात् मैंने उन्हें देखा कि वह अच्छे चरित्र की लोगों को शिक्षा देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने काव्य में फ़रमाते हैं:

पर बनाना आदमी वहशी को है इक मोज़िज़ा

मानिए रज़-ए नबूवत है उसी से आशकार

(बराहीन-ए-अहमदिय्या भाग पाँच, रूहानी ख़ज़ाइन भाग 21, पृष्ठ 144)

जन्म के आधार पर सभी मनुष्य समान हैं

इस्लाम आया तो उसने सभी मनुष्यों को जन्म के आधार पर समान और बराबर घोषित किया क्योंकि उनका सृष्टिकर्ता एक है और उनकी उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई है। इसलिए जन्म के आधार पर किसी को कोई वरीयता और श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती। किसी विशेष परिवार, कबीले या राष्ट्र में पैदा होने से कोई मनुष्य पवित्र, अपवित्र या श्रेष्ठ नहीं ठहराया जा सकता बल्कि मनुष्य होने के नाते उनकी स्थिति एकसमान और समान ही रहेगी। हाँ, यदि कोई अंतर है तो वह परहेज़गारी और धर्मपरायणता के आधार पर है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'हे लोगो! निश्चय ही हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें विभिन्न जातियों और कबीलों में बाँटा ताकि तुम एक-दूसरे को पहचान सको। निस्संदेह अल्लाह के निकट तुममें सबसे अधिक आदरणीय वह है जो तुममें सबसे अधिक परहेज़गार है।' (सूर: अल्-हुजुरात: 14) हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल्-अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं:

"इस्लाम, पवित्र इस्लाम ने राष्ट्रों के भेद को समाप्त कर दिया क्योंकि वह दुनिया में एकेश्वरवाद को जीवित और स्थापित करना चाहता था और चाहता है। इसी तरह हर बात में उसने एकता की आत्मा फूँकी और परहेज़गारी पर ही भेद रखा। राष्ट्रीय भेदभाव पर जो घृणा और तुच्छता पैदा करके 'अल्लाह की सृष्टि के प्रति दया' के सिद्धांत की दुश्मन हो सकती थी, उसे दूर कर दिया।"

(हकाएकुल फुरकान भाग 4, पृष्ठ 8)

सच तो यह है कि मनुष्यों के बीच समानता की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को नहीं बल्कि 9 और 10 जुल-हिज्जा सन 10 हिजरी में अरफ़ात और मिना के मैदानों में हुई। जब इस्लाम के संस्थापक हज़रत अक़दस मुहम्मद मुस्ताफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदाई उपदेश (खुल्बा-ए-हज्जतुल विदा) के अवसर पर सभी अज्ञानतापूर्ण रीति-रिवाजों को एकदम समाप्त करते हुए मानवता के संरक्षण के लिए एक ऐसा जीवन संहिता प्रस्तुत फरमाई जो मानवीय गौरव को चार चाँद लगाने वाली है। उस घोषणापत्र में विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को उस अपमान, नीचता, अत्याचार, हिंसा और शोषण से मुक्ति दी गई है जिसका वह सदियों से शिकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोर वर्गों को सम्मान और प्रतिष्ठा का स्थान प्रदान फ़रमाया। विश्व के इतिहास में पहली बार एक ऐसा वैश्विक घोषणापत्र प्रस्तुत किया गया जो समानता और भाईचारे के स्वर्णिम सिद्धांतों पर आधारित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा फरमाई: 'हे लोगो! सुन लो, निश्चय ही तुम्हारा पालनहार एक है और तुम्हारा पिता एक था। सावधान, अरबों को गैर-अरबों पर कोई श्रेष्ठता नहीं और न गैर-अरबों को अरबों पर कोई श्रेष्ठता है। और न ही गोरे रंग वालों को काले रंग वालों पर कोई श्रेष्ठता है और न काले रंग वालों को गोरो पर कोई श्रेष्ठता है, सिवाय धर्मपरायणता के। क्या मैंने (यह संदेश) पहुँचा दिया? सबने कहा: हाँ, अल्लाह के रसूल ने पहुँचा दिया।"

(मसनद अहमद बिन हंबल, उद्धारित सीरत ख़ातमन नबिय्यीन, पृष्ठ 686)

संक्षेप में, इस्लाम ने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को बता दिया कि राष्ट्रीय और नस्लीय भेद का उद्देश्य परस्पर परिचय और प्रेम की प्राप्ति है, न कि अजनबीपन और दूरी का कारण। यदि किसी को कोई सम्मान प्राप्त है तो वह परहेज़गारी के आधार पर है। सभी मनुष्य आदम की संतान होने के नाते, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जिसे उसने पूरी पृथ्वी से एकत्र फ़रमाया था।

इसलिए आदम की संतान इस मिट्टी के अनुसार हुई है, कुछ लाल हैं और कुछ सफेद, कुछ काले हैं और कुछ इनके बीच के। कुछ कोमल स्वभाव के हैं और कुछ कठोर प्रकृति के होते हैं और कुछ अच्छी और उत्तम प्रकृति वाले।

(सुनन अबू दाऊद, किताबुस्सुनन, बाबुन फिल क्रद्र, हदीस: 4693) राष्ट्रों का अभिमान इस्लाम में स्वीकार्य नहीं

पहली राष्ट्रों और धर्मों के मानने वालों में यह प्रथा थी कि वे किसी विशेष नस्ल या मत के कारण अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझा करते थे। वे जाति-पाति के विभाजन के आधार पर कुछ को कुछ पर वरीयता देते थे, हिंदू धर्म के मानने वाले इसकी प्रमुख उदाहरण हैं जो आज तक जाति-पाति के दलदल में फँसे हुए हैं। यहूदी और ईसाई भी इस भ्रम में हैं कि वे अल्लाह के बेटे और उसके प्रिय हैं। (सूर: अल्-मायदा: 19) वे इस दुनिया में ही अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते बल्कि वे यह विश्वास रखते हैं कि उनके सिवा कोई स्वर्ग का हकदार नहीं है, जबकि पवित्र कुरआन ने उनके इस गलत और स्व-रचित विश्वास का खंडन फ़रमाया है। (सूर: अल्-बकरा: 112) इस्लाम के अनुसार दुनिया में पैदा होने वाला प्रत्येक मनुष्य निर्दोष और बेगुनाह होता है और उसे स्वाभाविक पवित्रता के साथ दुनिया में भेजा जाता है ताकि उस स्वभाव को काम में लाते हुए वह अच्छे-बुरे और लाभदायक व हानिकारक को पहचान ले और अपने परलोक की चिंता में लग जाए। जैसा कि फ़रमाया: 'अल्लाह की वह स्वाभाविक पवित्रता जिस पर उसने मनुष्यों को पैदा किया।'

(सूर: अर-रूम: 31)

धर्म इस्लाम की यह विशेषता है कि उसने मानवीय समानता के हर पहलू को बड़ी विस्तार से बयान किया है ताकि किसी मनुष्य या किसी राष्ट्र का अपमान या उसका शोषण न हो और न ही उनमें किसी प्रकार की हीन भावना पैदा हो। यही कारण है कि इस्लाम ने राष्ट्रों और कबीलों को अनुचित अभिमान से रोका है। अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'हे वे लोगो जो ईमान लाए हो! (तुम में से) कोई समुदाय किसी समुदाय का उपहास न करे, संभव है कि वे उनसे बेहतर हों। और न ही स्त्रियाँ स्त्रियों से (उपहास करें), हो सकता है कि वे उनसे बेहतर हों। और अपने लोगों पर दोष न लगाया करो और एक-दूसरे को बुरे उपनाम से न पुकारा करो।'

(सूर: अल्-हुजुरात: 12)

आध्यात्मिक उन्नति में समानता

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने स्पष्ट फ़रमाया है कि आध्यात्मिक उन्नति का द्वार किसी विशेष राष्ट्र के लिए सुरक्षित नहीं है बल्कि यह एक खुला मार्ग है। अल्लाह तआला की मार्गदर्शन के अनुसार जो चाहे इस मार्ग पर कदम बढ़ाए और अल्लाह की प्रसन्नता, मुलाकात और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करे। जैसा कि वह फ़रमाता है: 'क्यों नहीं, जिसने अपने आपको अल्लाह के लिए समर्पित कर दिया और वह भलाई करने वाला है तो उसका प्रतिफल उसके पालनहार के पास है और उन (लोगों) पर कोई भय नहीं और न वे दुखी होंगे।' (सूर: अल्-बकरा: 113)

इस्लामी शिक्षा के अनुसार जो मनुष्य अल्लाह तआला और परलोक के दिन पर ईमान लाने वाला और उचित कर्म करने वाला हो, उसे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उसे कर्मों का उत्तम बदला दिया जाएगा। अल्लाह का फ़रमान है: 'निश्चय ही वे लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबेई और ईसाई, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाया और अंतिम दिन पर और उसने अच्छे कर्म किए तो उन पर कोई भय नहीं और वे दुखी नहीं होंगे।' (सूर: अल्-मायदा: 70)

गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार समानता का उत्कृष्ट उदाहरण:

इस्लाम ने गुलामों की मुक्ति की ओर विशेष ध्यान दिलाया है और इसे पुण्य का कार्य बताया है। क्योंकि स्वतंत्रता बहुत बड़ी नेअमत है, इसीलिए अल्लाह तआला ने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र पैदा किया है। इस्लाम से पूर्व दुनिया में मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का सामान्य प्रचलन था। दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तरह अरब में भी मनुष्यों को गुलाम बनाने का सामान्य प्रचलन था, गुलामी को न केवल पसंद की दृष्टि से देखा जाता था बल्कि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक गुलाम होते वह उतना ही अधिक सम्मानित समझा जाता। इस्लाम ने प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए गुलामों को मुक्त कराने वालों के लिए पुण्य और प्रतिफल की घोषणा की ताकि उसके मानने वाले शीघ्र ही इस बुरी प्रथा से बाहर निकल आएँ। रक्तंजित युद्ध के बाद किसी अन्य रूप में कैदी न बनाने की हिदायत देते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'किसी नबी के लिए

यह उचित नहीं कि उसके पास कैदी हों, जब तक कि वह धरती में (शत्रु को) पूरी तरह दबा न दे। तुम सांसारिक लाभ चाहते हो जबकि अल्लाह परलोक चाहता है।' (सूर: अल्-अनफ़ाल: 68)

फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते थे कि जो कोई मुसलमान गुलाम आज़ाद करेगा, अल्लाह तआला उसे नरक से पूर्ण मुक्ति प्रदान करेगा। (सहीह बुखारी, किताब कफ़ारातुल ईमान, हदीस: 6715) हज़रत अस्मा बिनत अबी बक्र रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर्य ग्रहण के समय गुलाम आज़ाद करने का आदेश दिया।

(सहीह बुखारी, किताबुल इत्क, हदीस: 2519)

इस प्रकार केवल ग्रहणों, भूकंपों, अकाल और अन्य अवसरों पर गुलामों की मुक्ति के प्रयासों से सैकड़ों, हज़ारों गुलाम और दासियाँ मुक्त हुईं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दयालु हृदय नबूवत से पहले भी गुलामी को सख्त नापसंद करता था। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से विवाह के बाद जो गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सभी को आज़ाद कर दिया। उनमें एक गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हो थे, उन्हें अपना मुँहबोला बेटा बनाया और उनके साथ इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार फ़रमाया कि जब उनके वास्तविक माता-पिता उन्हें लेने के लिए मक्का आए तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे व्यवहार के कारण उनके साथ जाने से इन्कार कर दिया।

(ओसोदुल् गाबा फी मअरफ़तिस सहाबा, भाग नंबर 2, ज़ैद बिन हारिसा, पृष्ठ 142-141, दारुल फिक्र बैरुत 2003)

अतः इस्लाम के संस्थापक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रमिक रूप से मनुष्य को मनुष्य की कैद से मुक्त कराने का ऐसा उपयुक्त और उचित प्रबंध फ़रमाया कि न केवल लाखों लोगों को स्वतंत्रता जैसी नेअमत प्राप्त हुई बल्कि इस्लाम में गुलामी का सदैव के लिए अंत हो गया।

इस्लाम के आरंभिक काल में मजबूरी में और रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युद्धबंदियों के संबंध में अत्यंत नम्रता का तरीका अपनाया और युद्धबंदियों को एहसान के तौर पर या फिरया लेकर मुक्त कर दिया गया। जैसा कि अल्लाह तआला का आदेश है: 'फिर बाद में एहसान के तौर पर या फिरया लेकर मुक्त करना।'

(सूर: मुहम्मद: 5)

इतिहास इस्लाम में कैदियों के साथ अच्छाई और एहसान के असंख्य प्रसंग दर्ज हैं। युद्ध बंद के कुछ कैदियों ने मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखा दिया तो उन्हें मुक्ति का परवाना थमा दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा से विवाह कर लिया तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्होम ने कबीला बन्नु मुस्तलिक के एक सौ परिवारों को इसलिए आज़ाद कर दिया कि वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हैं। (सुनन अबू दाऊद, किताबुल इत्क) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी-कभी एक ही समय में हज़ारों युद्धबंदियों को मुक्त करके अच्छाई और एहसान का उत्कृष्ट नमूना कायम फ़रमा दिया। इस प्रकार युद्ध हुनैन में बन्नु हवाज़िन के छह हज़ार कैदियों को उनके संबंधियों की प्रार्थना पर बिना मुआवज़े के मुक्त कर दिया।

(सहीह बुखारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज़वा हुनैन)

हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "इस्लाम इस बात का समर्थक नहीं है कि काफ़िरों के कैदी गुलाम और दासियाँ बनाए जाएँ बल्कि गुलाम आज़ाद करने के बारे में पवित्र कुरआन में इतना जोर दिया गया है कि जिससे अधिक की कल्पना नहीं की जा सकती। संक्षेप में, आरंभ गुलाम-दासी बनाने की काफ़िरों से हुई और इस्लाम में दंड के रूप में यह आदेश जारी हुआ और इसमें भी मुक्त करने की प्रेरणा दी गई।"

(चश्म-ए-मअरफ़त, रूहानी खज़ाइन भाग 23, पृष्ठ 255-254)

एक ऐसा समाज जहाँ गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शिक्षा और व्यावहारिक नमूने की पवित्र शक्ति की बरकत से ऐसा पवित्र क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि मालिक और गुलाम भाई-भाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के बारे में आदेश दिया कि जो स्वयं पहनो वही उन्हें पहनाओ, जो स्वयं खाओ उन्हें भी खिलाओ और उनसे कठिन काम न लो बल्कि कठिन कामों में उनकी सहायता किया करो। इस प्रकार जान-

निष्ठावर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्होम ने इस आदेश पर दिल और जान से अमल किया और इसकी असाधारण व्यावहारिक मिसालें कायम कीं।

दर्द-ए-दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को  
वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां

हज़रत अबू ज़र गफ़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हो को किसी ने देखा कि वह एक नए कपड़ों का जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी वैसा ही नया जोड़ा पहने हुए था, तो हमने इसके संबंध में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा: मैंने एक व्यक्ति को गाली दी थी तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया: क्या तुमने उसे उसकी माँ का ताना दिया है? फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम्हारे भाई ही तुम्हारे नौकर-चाकर होते हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे अधीन कर दिया है। इसलिए जिसका भाई उसके अधीन हो तो चाहिए कि वह उसे वही खाना खिलाए जो वह स्वयं खाता हो और वही कपड़ा पहनाए जो वह स्वयं पहनता हो और तुम उन्हें ऐसे कामों की तकलीफ न दो जो उन्हें थका दें और यदि तुम उन्हें ऐसे कामों की तकलीफ दो जो उन पर गुरु हों तो ऐसे कामों में उनकी सहायता किया करो।

(सहीहल बुखारी, किताबुल इत्क, हदीस: 2545)

फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जोर देकर फ़रमाया कि नौकर या गुलाम खाना लाए तो उसे भी साथ बिठाकर उसमें से खिलाओ, यदि वह न माने तो कुछ खाना ही दे दो कि उसने खाना तैयार करते हुए गर्मी और धुआँ खाया है।

(इब्र माजा, किताबुल अतइमा, बाब इज़ा अताहु खादिमुहु लितआमिहि)

हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "कहते हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हो के पास एक नौकर चाय की प्याली लाया। जब निकट आया तो लापरवाही से वह प्याली आप रज़ियल्लाहु अन्हो के सिर पर गिर पड़ी। आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने तकलीफ महसूस करके ज़रा तेज़ नज़र से गुलाम की ओर देखा। गुलाम ने धीरे से पढ़ा: 'वल काज़िमीनल ग़ैज़' (और क्रोध को रोकने वाले)। यह सुनकर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़रमाया: 'मैंने क्रोध रोक लिया।' गुलाम ने फिर कहा: 'वल आफ़ीना अनिन नास' (और लोगों से क्षमा करने वाले)। 'कज़्म' में मनुष्य क्रोध दबा लेता है और प्रकट नहीं करता है, लेकिन भीतर से पूरी रज़ामंदी नहीं होती। इसलिए क्षमा की शर्त लगा दी है। आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा कि मैंने क्षमा किया। फिर पढ़ा: 'वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन' (और अल्लाह भलाई करने वालों से प्रेम करता है) (सूर: आल-ए-इमरान: 135)। अल्लाह के प्रिय वही होते हैं जो क्रोध रोकने और क्षमा करने के बाद भलाई भी करते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़रमाया: जा, आज्ञाद भी किया। नेक लोगों के नमूने ऐसे ही हैं कि चाय की प्याली गिराकर आज्ञाद हुआ। अब बताओ कि यह नमूना सिद्धांत की उत्कृष्टता ही से पैदा हुआ।" (मल्फूज़ात भाग अव्वल, पृष्ठ 115, एडिशन 2003)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने समाज के इस सबसे अधिक पीड़ित वर्ग को केवल गुलामी से ही मुक्ति नहीं दिलाई बल्कि गुलामों के आत्म-सम्मान को भी बहाल फरमा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से कोई अपने गुलाम को 'हे मेरे गुलाम', 'हे मेरी लौंडी' कहकर न पुकारे बल्कि यह कहे: 'हे नौजवान लड़के' या 'हे नौजवान लड़की' या कहे: 'हे मेरे बच्चे'!

(सहीहल बुखारी, किताबुल इत्क, हदीस: 2552)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मक्का विजय के अवसर पर अपने इस जान-निष्ठावर सेवक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हो को याद रखा और यह घोषणा करवाई कि आज जो बिलाल हबशी के झंडे के नीचे आ जाएगा उसे अमन दी जाएगी।

(सीरतुल हल्बिया, भाग 3, पृष्ठ 97)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और अन्य सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्होम की तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो को भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हो से अत्यधिक प्रेम था। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हो का देहांत हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़रमाया: आज मुसलमानों का सरदार चला गया। यह एक गरीब हबशी गुलाम के बारे में समय के बादशाह का कथन था। (सीरत ख़ातमन नबि्य्यीन, पृष्ठ 125-124) रिवायतों में यह उल्लेख भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के देहांत के बाद जब कभी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हो मुलाकात के उद्देश्य से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो की

सेवा में हाज़िर होते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो उनका उत्साहपूर्ण स्वागत करते और उनसे फ़रमाते: 'अंत अख़ूना व मौलाना' अर्थात् हे बिलाल! आप हमारे भाई हैं और हमारे सरदार हैं।'

मानवीय समानता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि प्रत्येक वर्ष हज्ज के अवसर पर विभिन्न रंग और नस्ल के और विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग सफेद वस्त्र धारण करके एक स्थान पर एकल होते हैं और 'लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक' के नारों से अपने हृदय और आत्मा को गर्माते हैं। हज्ज के अलावा उमरा के दौरान इस्लामी भाईचारे का यही कार्य पूरे वर्ष जारी रहता है। इस्लामी नमाज़ भी इस्लामी भाईचारे और प्रेम तथा मानवीय समानता की उत्कृष्ट मिसाल है जो पाँच समय जमाअत के साथ अदा की जाती है, जहाँ बादशाह और फकीर हर प्रकार के भेदभाव को दरकिनार रखते हुए एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और अपने पालनहार के सामने खड़े होकर और रकू व सजदे करते हैं।

सभी मनुष्यों के जीवन की सुरक्षा में समानता:

इस्लाम में मानव जीवन की सुरक्षा, उसकी सामाजिक आवश्यकताओं और शांति व सुकून का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि पूर्ण एकाग्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए उसकी संपूर्ण ध्यान अपने सृष्टिकर्ता और मालिक की ओर लगी रहे। जिस प्रकार एक मनुष्य को जीवित रहने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार उसके जीवन का संरक्षण भी उसका मौलिक अधिकार है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार एक निर्दोष मनुष्य की हत्या, संपूर्ण मानवता की हत्या के समान है और एक मनुष्य को अन्यायपूर्ण हत्या से बचा लेना, संपूर्ण मानवता को बचाने के बराबर है। अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'यह कि जिसने किसी प्राणी को हत्या या पृथ्वी में उपद्रव फैलाए बिना मार डाला, तो मानो उसने सभी मनुष्यों को मार डाला। और जिसने उसे जीवित रखा तो मानो उसने सभी मनुष्यों को जीवित रखा।'

(सूर: अल्-मायदा: 33)

अल्लाह तआला ने ईमान वाले बंदों की एक निशानी यह बयान की है: 'और उस प्राणी की हत्या नहीं करते जिसे अल्लाह ने निषिद्ध ठहराया है, सिवाय न्याय के आधार पर।' (सूर: अल्-फुरकान: 69)

पविल कुरआन ने केवल शासन को उस व्यक्ति के वध की अनुमति दी है जो दूसरे लोगों की हत्या करे या विद्रोह और फ़ितना व फसाद खड़ा करके मानव जीवन को खतरे में डाले या आक्रामक युद्ध के माध्यम से मानव जीवन समाप्त करने का प्रयास करे। अतः ऐसा व्यक्ति अपने अनुचित कर्म से स्वयं अपने आप को जीने के अधिकार से वंचित कर लेता है। इस्लाम की दृष्टि में किसी निर्दोष जीव का नाश बड़े अपराधों में गिना जाता है। इस्लाम ने जहाँ सभी मानव जीवन को सुरक्षा दी है, वहीं मुसलमानों को विशेष रूप से एक-दूसरे की अन्यायपूर्ण हत्या से रोका है। अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'और जो कोई किसी मोमिन को जान-बूझकर मार डाले तो उसकी सज़ा नरक है, वह उसमें सदैव रहने वाला है और अल्लाह उस पर क्रोधित हुआ और उस पर लानत की और उसने उसके लिए भारी यातना तैयार कर रखी है।'

(सूर: अन-निसा: 94)

अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता इस्लामी समानता के प्रकाश में:

इस्लाम ने मानवीय समानता का झंडा बुलंद करते हुए प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि वह जिस धर्म और मत को चाहे अपनाए, उस पर अमल करे और उसे दूसरों में फैलाए। इस्लामी शिक्षा के अनुसार दुनिया के किसी मनुष्य, संस्था या सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी मनुष्य या किसी समुदाय को उसके इस मौलिक अधिकार से वंचित कर दे। अल्लाह तआला ने पविल कुरआन में प्रत्येक मनुष्य को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए यह घोषणा फरमाई है: 'और कह दो कि सत्य वही है जो तुम्हारे पालनहार की ओर से है। फिर जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे इन्कार कर दे।'

(सूर: अल्-कहफ: 30)

धर्म के नाम पर अनुयायियों की समुदायों को सदैव अत्याचार का शिकार बनाया जाता रहा है। दूसरी ओर धर्मों ने सदैव समानता, शांति और सुरक्षा तथा उदारता की शिक्षा दी है। हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं:

"गुलामी से मुक्ति और धर्म व अंतरात्मा की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी नेअमत है... यदि हम धर्मों के इतिहास पर नज़र डालें तो धर्मों के संस्थापकों या अल्लाह के अनुयायी दुनिया में जिन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आते हैं,

उनमें से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता है। चाहे वह अत्याचारी बादशाहों और फिराओं की गुलामी से मुक्ति हो या धर्म के बिगड़ने के कारण या धर्म के नाम पर धर्म के नामधारी ठेकेदारों के अपने स्वार्थों की खातिर रीति-रिवाज या धार्मिक रस्मों की जंजीर गले में डालने की गुलामी से मुक्ति हो। हर प्रकार की गुलामी से मुक्ति अनुयायियों के माध्यम से होती है।"

(जुमआ का भाषण: 25 नवंबर 2011)

मनुष्य के आत्म-सम्मान में समानता की शिक्षा:

अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'निश्चय ही हमने मनुष्य को उत्तमतर रचना में पैदा किया।' (सूर: अत-तीन: 5)

इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह तआला ने प्रत्येक मनुष्य को सम्मान और इज़्ज़त प्रदान की है और उसे अन्य सृष्टियों में विशिष्ट स्थान प्रदान फ़रमाया है। वह चाहता है कि मनुष्य आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति की मंज़िलें तय करके एक उच्च स्थान प्राप्त कर ले। इसीलिए उसने मनुष्य को दूसरी सृष्टियों की तुलना में सम्मान और प्रतिष्ठा का स्थान प्रदान फ़रमाया है और उसकी रचना में उन्नति करने और आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करने की क्षमता रख दी है। एक अन्य स्थान पर फ़रमाया: 'और निश्चय ही हमने आदम की सन्तान को सम्मान प्रदान किया और हमने उन्हें थल और जल में सवारी दी और हमने उन्हें पवित्र वस्तुओं से रोज़ी दी और हमने उन्हें बहुत-सी सृष्टियों पर जिन्हें हमने पैदा किया है, बहुत श्रेष्ठता प्रदान की।' (सूर: बनी इस्राईल: 71)

हज़रत मस्लह मौऊद रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं: "इसमें बताया है कि अल्लाह तआला ने सभी मनुष्यों को सम्मान प्रदान किया है न कि विशेष राष्ट्रों को। अतः राष्ट्रों को एक-दूसरे पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इससे यहूदियों और कुरैश को नसीहत की है जो अपने आप को दूसरों से सम्मानित समझते थे। और बताया है कि अल्लाह तआला ने प्रत्येक राष्ट्र को सम्मान दिया है। लेकिन कुछ राष्ट्र इस सम्मान से लाभ नहीं उठाते और अल्लाह तआला के खोले हुए मार्गों को अपने लिए बंद कर लेते हैं। 'और हमने उन्हें थल और जल में सवारी दी' कहकर इस ओर संकेत किया है कि समुद्र और थल को एकसमान रूप से अल्लाह तआला ने मानवीय उन्नति के लिए नियुक्त किया है। अतः यदि कोई राष्ट्र सम्मान प्राप्त करना चाहे तो उसे एकसमान रूप से दोनों से लाभ उठाना चाहिए।"

(तफ़सीर-ए-कबीर भाग 6, पृष्ठ 391, एडिशन 2023)

कोई मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ग या समाज से संबंध रखता हो, वह धनी हो या निर्धन, उसे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। यदि बिना कारण उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचाई जाए तो वह लड़ाई-झगड़े पर उतर जाता है। जिससे समाज का शांतिवातावरण नष्ट होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की भावनाओं, संवेदनाओं और इच्छाओं का आदर आवश्यक है। प्रत्येक को समान अवसर मिलने चाहिए। हज़रत खलीफ़तुल मसीह अस-सालिस रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

"इस्लाम कहता है कि धनी या निर्धन अल्लाह का बंदा है... जितना अधिकार एक निर्धन प्रतिभाशाली बच्चे का है कि उसकी शक्तियों को विकास की पूर्णता तक पहुँचा दिया जाए, उतना ही अधिकार एक धनी परिवार में पैदा होने वाले प्रतिभाशाली बच्चे का है।"

(ख़ुतबात-ए-नासिर भाग 1, पृष्ठ 501)

गैर-मुसलमानों की स्वीकारोक्ति

इस्लाम और पवित्र कुरआन की इन शिक्षाओं को आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने स्वयं अमल करके और अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्होम के माध्यम से अमल करवाकर सदैव के लिए न केवल आम जनता बल्कि शासकों के लिए भी आदर्श उदाहरण कायम फ़रमाया है। जिसकी स्वीकारोक्ति गैर-मुसलमानों ने भी की है। इतालवी प्राच्यविद्या विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर डॉक्टर वोगलेरी ने इस्लामी उदारता का उल्लेख करते हुए लिखा है:

"पैग़म्बर इस्लाम और खलीफ़ाओं के तरीके को कानून का दर्जा प्राप्त हो गया और हम निश्चित रूप से बिना अतिशयोक्ति के कह सकते हैं कि इस्लाम ने धार्मिक उदारता की शिक्षा पर ही संतोष नहीं किया बल्कि उदारता को धार्मिक कानून का अनिवार्य अंग बना दिया। विजित लोगों के साथ समझौता करने के बाद मुसलमानों ने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही धर्म परिवर्तन के लिए कोई कठोरता की।"

(An Interpretation of Islam - Page 14, उद्धारित उस्वा-

ए-इंसान-ए-कामिल, पृष्ठ 516)

श्री कॉस्टेंटिन जॉर्जियो (रोमानिया के विदेश मंत्री) ने अपनी पुस्तक

'मुहम्मद' में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के क्रांतिकारी परिवर्तन को दुनिया का महानतम क्रांतिकारी परिवर्तन बताते हुए लिखा है:

"अरब प्रायद्वीप में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम लाना चाहते थे, वह फ्रांस की क्रांति से कहीं बड़ा था। फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसियों के बीच समानता उत्पन्न नहीं कर सकी लेकिन पैग़म्बर इस्लाम के लिए हुए क्रांतिकारी परिवर्तन ने मुसलमानों के बीच समानता स्थापित कर दी और हर प्रकार के पारिवारिक, वर्गीय और सांसारिक भेदभावों को मिटा दिया।"

(उद्धृत पैग़म्बर इस्लाम गैर-मुस्लिमों की नज़र में, पृष्ठ 153)

हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल्-अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं:

"उस युग अज्ञानता में जबकि आधी दुनिया पर नैतिक और सामाजिक अंधकार छाया हुआ था, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने वे सिद्धांत सभी मनुष्यों की समानता की शिक्षा फ़रमाए, जिनकी कद्र अन्य धर्मों में बहुत कम की जाती थी। इस प्रकार वह योग्य इतिहासकार (हालम साहिब)... लिखता है कि 'धर्म इस्लाम अल्लाह के बंदों के सामने प्रस्तुत किया गया लेकिन कभी भी उनसे जबरदस्ती नहीं स्वीकार कराया गया। और जिस व्यक्ति ने इस धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार किया, उसे वही अधिकार प्रदान किए गए, जो विजयी राष्ट्र के थे। और इस धर्म ने पराजित राष्ट्रों को उन शर्तों से मुक्त कर दिया, जो सृष्टि के आरंभ से पैग़म्बर इस्लाम के समय तक प्रत्येक विजेता ने पराजितों पर लगाई थीं।"

(हकाएकुल फुरकान भाग 4, पृष्ठ 75)

संयुक्त राज्य अमेरिका के कैपिटल हिल, वाशिंगटन डी.सी. में 27 जून 2012 को अपने ऐतिहासिक भाषण में हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं:

"आज हम शक्तिशाली और कमज़ोर राष्ट्रों के बीच अंतर और विभाजन देखते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र में हम देखते हैं कि कुछ देशों के बीच एक भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य हैं और कुछ अस्थायी सदस्य हैं। यह विभाजन एक आंतरिक बेचैनी और असंतोष पैदा करने का साधन है। ऐसी रिपोर्टें लगातार मिलती रहती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कुछ देश इस असमानता पर विरोध प्रकट करते रहते हैं। इस्लाम हर मामले में पूर्ण न्याय और समानता का पाठ पढ़ता है।"

(विश्व संकट और शांति का मार्ग, भाषण 4, पृष्ठ 76-75)

अल्लाह तआला ने मानवीय समानता का अमर, महान और उत्कृष्ट संदेश दुनिया को रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के माध्यम से प्रदान फ़रमाया है। आज पूरी दुनिया में खड़ी घृणा की दीवारें टूटकर चूर-चूर हो जाएँ और सभी मनुष्य परस्पर एक-दूसरे के सहायक और मददगार बनते हुए शांति और सुरक्षा वाली शांतिपूर्ण सफल जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि हम सब इस शिक्षा पर स्वयं भी अमल करें और पूरी दुनिया में फैलाएँ। हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ हमें ध्यान दिलाते हुए फ़रमाते हैं:

"हम अहमदी होने का अधिकार उस समय अदा कर सकते हैं जब हम अपने पुण्य कर्मों के कारण हर ओर उच्च नैतिकता दिखाने का प्रदर्शन करने वाले हों। जब हम अपने मुहल्ले और शहर और अपने देश में पुण्य कर्मों के कारण इस्लाम की सुंदरता दिखाने वाले बनें। हर प्रकार के फसादों, झगड़ों, चुगली करने की आदतों, दूसरों का अपमान करने, दया से रहित होने, एहसान करके फिर जताने वाले लोगों में शामिल न हों बल्कि इन चीज़ों से बचने वाले हों और उच्च नैतिकता का प्रदर्शन करने वाले हों। पवित्र कुरआन बार-बार हमें उच्च नैतिकता को अपनाने और पुण्य कर्म बजा लाने की प्रेरणा फ़रमाता है।"

(जुमआ का भाषण: 19 सितंबर 2014)

है अमल में कामयाबी मौत में है जिंदगी  
जा लपट जा लहर से दरिया की कुछ परवाह न कर  
(कलाम-ए-महमूद)

अल्लाह तआला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाए।  
आमीन।



## हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के राष्ट्रीय एकता पर सुनहरी उपदेश

(एच. शम्सुद्दीन साहब मुरब्बी सिल्लिला, संपादक, अखबार बदर मलयालम संस्करण)

राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य एक राष्ट्र के लोगों के बीच ऐसा मेल, सद्भाव और आपसी विश्वास है जो नस्ल, भाषा, धर्म या क्षेत्रीय भेद से ऊपर हो। यह वह स्थिति है जिसमें राष्ट्र के सभी वर्ग और समूह साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करते हैं और एक-दूसरे के सुख-दुख में भागीदार रहते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में स्थायी विकास और शांति का रहस्य इसी सिद्धांत में छिपा है। इतिहास साक्षी है कि जब कोई राष्ट्र एकता के बंधन में बंधा रहता है तो वह बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का डटकर सामना करता है, लेकिन जब उसमें फूट पैदा हो जाती है तो वह अपनी ताकत खो बैठता है।

राष्ट्रीय एकता और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पवित्र कुरआन ने राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए कहा: **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً** "समस्त लोग एक ही समुदाय थे" (सूर: अल्-बकरह: 213)। यानी सभी मनुष्य एक ही समुदाय के थे। अफसोस कि मानवजाति ने इस सच्चाई को भुलाकर मतभेदों को जन्म दिया। इसलिए अल्लाह तआला ने इंसानों को फिर से एक सूत्र में पिरोने के लिए दोनों जहानों के सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को भेजा और कहा: "कह दो, ऐ लोगो! मैं तुम सभी की ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, जिसी के अधिकार में आकाशों और धरती का राज्य है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, वही जीवन देता है और मृत्यु देता है। अतः विश्वास रखो अल्लाह पर और उसके रसूल उस अनपढ़ पैगंबर पर, जो अल्लाह और उसके वचनों पर ईमान रखता है, और उसी का अनुसरण करो ताकि तुम सीधा मार्ग पा जाओ।" (सूर: अल्-आराफ: 158)

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को वैश्विक शरीयत यानी पवित्र कुरआन प्रदान किया गया जो सारे संसार के लिए चेतावनी है (सूर: अल्-फुरकान: 1)। इस किताब में पिछले धर्मग्रंथों के अनुयायियों और पूरी मानवजाति को यह संदेश दिया गया: "कहो, ऐ पिछले धर्मग्रंथों को मानने वालो! आओ एक ऐसे बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है: कि हम अल्लाह के सिवा किसी की उपासना न करें, उसके साथ किसी को साझी न बनाएँ और अल्लाह को छोड़कर हम में से कोई एक-दूसरे को अपना रब न बनाए।" (सूर: आल-ए-इमरान: 64)

फिर आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने राष्ट्रीय एकता का इतना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया कि काले-गोरे, गुलाम-मालिक और अरब-गैर-अरब सभी को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया कि फिर "न कोई सेवक रहा और न कोई सेवक रखने वाला!"

इसके अतिरिक्त, हज़रतुल विदा के अवसर पर आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपने अंतिम संदेश में एक बार फिर आम लोगों को राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाते हुए आगे आने वाली उम्मत को यह निर्देश भी दिया कि "सुन लो, तुम में से मौजूद व्यक्ति यह संदेश उस तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है।" (सही बुखारी, किताबुल इल्म)

राष्ट्रीय एकता और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

इस युग में इमाम महदी के आने का मुख्य उद्देश्य उम्मत को फिर से एक अद्वितीय समुदाय बनाना है। और प्यारे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी द्वारा स्थापित समूह के बारे में कहा था कि "वही (सही) समुदाय होगा।" साथ ही आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने उम्मत को यह निर्देश भी दिया कि "तुम मुसलमानों के समुदाय और उनके नेता से मज़बूती से जुड़े रहो... हर फिरके से अलग हो जाओ,

भले ही तुम्हें पेड़ की छाल चबाकर गुज़ारा करना पड़े, यहाँ तक कि इसी हालत में तुम्हारी मृत्यु आ जाए, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है।" इसलिए अल्लाह तआला ने उसी महान व्यक्ति, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि: "धरती पर फैले हुए सभी मुसलमानों को एक धर्म पर एकत्रित करो।"

इसकी व्याख्या करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "यह आदेश कि धरती पर फैले सभी मुसलमानों को एक धर्म पर एकत्रित करो, एक विशेष प्रकार का आदेश है... और यह आदेश जो मरी इस इल्हाम में है, वह भी इसी प्रकार का प्रतीत होता है कि अल्लाह तआला चाहता है कि धरती के मुसलमान एक धर्म पर एकत्रित हों और वह ऐसा होकर रहेंगे। हाँ, इससे यह अर्थ नहीं है कि उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद न रहे। मतभेद रहेगा, लेकिन वह ऐसा होगा जो उल्लेख या गौर करने के योग्य नहीं होगा।"

(अल्-हकम, खंड 9, अंक 42, तारीख 30 नवंबर 1905, पृष्ठ 2)

अंतिम युग में लोगों को फिर से एक ही उम्मत बनाने, राष्ट्रीय एकता और एकता के संबंध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पवित्र उद्धार न केवल मार्गदर्शक सिद्धांत हैं बल्कि मार्ग का प्रकाश भी हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "पहले मानवजाति केवल एक समुदाय की तरह थी और फिर वे सारी धरती पर फैल गए तो अल्लाह ने उनके परिचय की सुविधा के लिए उन्हें विभिन्न समुदायों और कबीलों में बाँट दिया और हर समुदाय के लिए उसके अनुरूप एक धर्म निर्धारित किया, जैसा कि वह फ़रमाता है: 'ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हारे समुदाय और कबीले बनाए ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो।' (सूर: अल्-हुजुरात: 13)

...और फिर फ़रमाता है: 'हमने तुममें से हरेक के लिए एक अलग शास्त्र और मार्ग निर्धारित किया है। और अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही समुदाय बना देता, किंतु उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा ले। अतः भलाइयों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो।'

(सूर: अल्-मायदा: 48)

हे मुसलमानो! सभी भलाइयों को प्राप्त करने की होड़ करो क्योंकि तुम सभी समुदायों का समूह हो और सभी प्रकृतियाँ तुममें विद्यमान हैं।"

(चश्मा-ए-मारफत, रूहानी खज़ायन, खंड 23, पृष्ठ 144-146)

"और हमने लोगों को तुम्हारे चरणों के नीचे कर दिया।"

अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एकता और एकजुटता के दिव्य मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के बाद आपकी ही संतान, यानी 'अबना-उल-फारिस' (फारस के वंशज) के माध्यम से, पैगंबरी तरीके पर चलने वाली खिलाफ़त की शृंखला को जारी रखा। इस बारे में प्यारे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शुभ सूचना दी थी कि "उनमें से महान व्यक्ति खड़े किए जाएंगे।" इसी भविष्यवाणी के अनुसार, एक के बाद एक पाँच खलीफ़ा आपकी उत्तराधिकारिता पर सुशोभित हुए। इसके अतिरिक्त, अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक इल्हाम प्रदान किया: "निस्संदेह मैं तुम्हारे साथ हूँ, हे मसरूर!" जिसके माध्यम से हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद, खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल

अज़ीज़ की खिलाफ़त की ओर संकेत भी कर दिया गया था।

इसी क्रम में आप अलैहिससलाम को यह इल्हाम भी हुआ: "और हमने लोगों को तुम्हारे चरणों के नीचे कर दिया।" (तज़किरा, पृष्ठ 630)

राष्ट्रीय एकता के लिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के प्रयास

ये इल्हामात इस सच्चाई को भी स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय एकता का महान मिशन, हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ के माध्यम से ही अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होगा। इसलिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ अपने अनेक भाषणों, संबोधनों और लेखों में न केवल इस सच्चाई को उजागर करते हैं बल्कि इसके व्यावहारिक आवश्यकताओं का मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे हैं।

#### राष्ट्रीय एकता का सार

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं: "किसी देश का नागरिक होने के नाते हम देश के प्रति वफ़ादारी और प्रेम का संबंध भी रखते हैं। और हर देश के अहमदी की यह इच्छा भी होती है कि वह अपने देश को दुनिया के देशों में विशिष्ट रूप से देखे। और इसके लिए वह प्रयास भी करता है और प्रार्थना भी करता है और करनी चाहिए। और एक अहमदी अपने निजी हैसियत से किसी भी देश की राजनीति में या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति में भाग भी लेता है। दुनिया के कई देश हैं जहाँ अहमदी यदि सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होकर देश की बेहतरी के लिए भूमिका निभा रहे हैं तो गैर-सत्तारूढ़ या विपक्षी पार्टी में भी शामिल होकर देश के निर्माण और विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए, हर अहमदी की देश के नागरिक के रूप में देश के राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी है, हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन अहमदिया मुस्लिम जमाअत को एक समुदाय के रूप में या अहमदिया खिलाफ़त को किसी सरकार, किसी देश की सरकार पर कब्ज़ा करने में न कोई दिलचस्पी है और न यह हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चे प्रेमी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, वह भौतिक देशों को प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि आध्यात्मिक बादशाहत को प्राप्त करने के लिए है। और अल्लाह तआला की रज़ा (प्रसन्नता) का ताज है जिसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। हाँ, जब भी किसी भी सत्तारूढ़ सरकार को देश के निर्माण, विकास और अस्तित्व के लिए सलाह और बलिदान की आवश्यकता हुई है, अहमदिया जमाअत ने हिस्सा लिया है और लेती है।"

#### मुस्लिम उम्मह को एकता की सलाह

मुस्लिम उम्मह को संबोधित करते हुए हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं: "सऊदी अरब में हाल ही में, यानी परसों जो ईद मनाई गई, उसमें मक्का में हज के दौरान इमाम-ए-काबा ने भी मुस्लिम देशों का ध्यान इस ओर दिलाया है, मुस्लिम उम्मह का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कि हमें एकता की ओर ध्यान देना चाहिए। यह एक लंबा-चौड़ा भाषण है लेकिन उसका सार यही है। लेकिन अब उनके लिए अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार यह एकता प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख हुआ, पहली बात तो यह है कि वे सब कुछ भूल चुके हैं। न गौरव रह गया है न धर्म रह गया है, जिससे धर्म भी गया और दुनिया भी गई। मुस्लिम उम्मह को एक करने के लिए अल्लाह तआला के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। किसी के स्वनिर्मित तरीके और किसी इमाम का कोई तरीका काम नहीं आ सकता। उसी इमाम का तरीका काम आएगा जिसे अल्लाह तआला ने इमाम बनाकर भेजा है। उस व्यक्ति से जुड़ना होगा जिसे अल्लाह तआला ने खुदा तआला ने संदेश दिया है कि धरती पर फैले सभी मुसलमानों को एक धर्म पर एकत्रित करो। इसलिए, युग के इमाम से जुड़ने वाले ही उस लक्ष्य को प्राप्त

कर सकेंगे।"

(ईदुल अज़हा के भाषण से, 7 नवंबर 2011)

फूट से बचो!

अल्लाह तआला ने अंतिम युग में इमाम महदी के माध्यम से खिलाफ़त की मज़बूत रस्सी प्रदान कर उम्मह को सलाह दी है कि "और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और तितर-बितर न हो जाओ और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो तुम पर हुई, जबकि तुम एक-दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में मेल कर दिया और तुम उसकी कृपा से भाई-भाई बन गए।" (सूर: आल-ए-इमरान: 103)

इस दिव्य वचन की ओर ध्यान दिलाते हुए और मुस्लिम उम्मह में पाए जाने वाले मतभेद और उसके विनाशकारी परिणामों का उल्लेख करते हुए, हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं: "मुसलमान यदि एक हो जाएँ तो इन मुश्किलों से निकल सकते हैं।"

(खुल्बा जुमअ:, 7 जुलाई 2023)

यह बयान मुस्लिम उम्मह को इस सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि फूट और मतभेद न केवल उन्हें कमजोर करते हैं बल्कि उनके दुश्मनों को उन पर हावी होने का अवसर भी देते हैं।

विश्व शांति के लिए एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, यूक्रेन और रूस के संघर्ष के संदर्भ में आपने फ़रमाया: "साथ ही, यह युद्ध जो चल रहा है, इससे हमें, मुसलमानों को भी सबक लेना चाहिए कि किस तरह ये लोग एक हो गए हैं, लेकिन मुसलमान एक कलमा (शहादा) पढ़ने के बावजूद कभी एक नहीं होते। एक देश (अफगानिस्तान) तबाह किया, इराक तबाह करवाया, सीरिया तबाह करवाया, यमन की तबाही हो रही है और दूसरों से करवाते हैं और खुद भी कर रहे हैं, इसके बजाय कि एक हों। कम से कम एकजुटता का यह सबक ही मुसलमान इन लोगों से सीख लें।"

(खुल्बा जुमअ:, 11 मार्च 2022)

यह संदेश स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय एकता केवल आंतरिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व शांति में भी इसकी भूमिका मौलिक है।

#### न्याय और सहयोग

एकता के मूल विषय 'वैश्विक एकता: शांति की कुंजी' में आपने फ़रमाया:

"यदि ये उपाय किए जाते हैं तो जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि मौजूदा संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और उनका स्थान शांति और आपसी सम्मान ले लेगा, बशर्ते कि सच्चा न्याय किया जाए और प्रत्येक देश अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि, हालाँकि यह एक इस्लामी शिक्षा है, लेकिन इस्लामी देश आपस में एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं।"

(अलिस्लाम डॉट ऑर्ग से प्रेस विज्ञप्ति)

यह उद्गार राष्ट्रीय एकता के उस सैद्धांतिक पहलू की व्याख्या करता है जिसके बिना एकता टिकाऊ नहीं रह सकती, यानी न्याय और आपसी सहयोग।

#### सामान्य मार्गदर्शन

27वें जलसा सालाना, फ्रांस (5 अक्टूबर 2019 को आयोजित) के अवसर पर, सम्मानित नागरिकों और अतिथियों को संबोधित करते हुए हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया:

"एक सच्चा मुसलमान वह व्यक्ति है जो स्वयं शांतिपूर्ण हो और जो दुनिया में शांति और सद्भाव स्थापित करने का प्रयास करता है।"

(अल्-फ़ज़ल इंटरनेशनल, 14 जुलाई 2020)

इसी तरह, यूरोपीय संसद (ब्रसेल्स, बेल्जियम में) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान (4 दिसंबर 2012 को आयोजित) हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया:

"इस्लाम का शांति का संदेश सार्वभौमिक है, इसीलिए हमारा आदर्श वाक्य है: 'सबके लिए प्रेम, किसी से घृणा नहीं।'"

(alislam.org/ Articles)

हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ दशकों से मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया को फूट की जंजीरों से मुक्त करने का एकमात्र तरीका एकता है।

(अल्-हकम, 15 दिसंबर 2023)

हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने अपने जुमा के भाषण (13 जून 2025) में ईरान-इजराइल तनाव के मद्देनजर प्रार्थना की अपील करते हुए फ़रमाया कि "इस समय दुनिया की सामान्य स्थितियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, प्रार्थना करते रहें। युद्ध के फैलने की संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं और अल्लाह तआला से प्रार्थना करें कि अल्लाह तआला हमें इसकी विनाशकारी परिणामों से सुरक्षित रखे क्योंकि अब तो इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और यह युद्ध की स्थिति खतरनाक रूप ले चुकी है।

यह लोग (इजराइल की सरकार) अब यही चाहेंगे कि एक-एक करके सभी मुस्लिम देशों को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन मुस्लिम देश सोए हुए हैं, अपनी प्रगति और अपनी दूसरी प्राथमिकताओं में डूबे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है।

मुसलमानों के न तो अच्छे कर्म रह गए हैं न ही उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान है और फिर ऐसी स्थिति में जो नुकसान होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह तआला उन्हें समझ दे और वे इस ओर ध्यान दें और अपनी एकता स्थापित करने का प्रयास करें।

यह नहीं कि यह फलां समुदाय है और वह फलां समुदाय है इसलिए हम उसकी मदद नहीं कर रहे। सभी देश खतरे में हैं क्योंकि अविश्वास (कुफ़्र) तो एक ही समुदाय बन चुका है। काफ़िर लोग तो सभी एक ही मिल्लत (समुदाय) बन गए हैं और अब मुसलमानों को भी एक ही उम्मह बनना पड़ेगा, तभी उनकी रक्षा है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। अल्लाह तआला हर निर्दोष को, हर मजलूम को बड़े नुकसान से बचाएँ और हमें प्रार्थना की ओर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। अल्लाह तआला हमें इसकी तौफ़ीक (सामर्थ्य) भी प्रदान करे।"

अहमदिया मुस्लिम जमाअत का उद्देश्य

इस दिव्य संगठन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ अज़ीज़ फ़रमाते हैं:

"इसलिए, ये बातें जो मैंने बताई हैं, यही इस संगठन के स्थापित होने का उद्देश्य है और इसके लिए हमें बलिदान देने चाहिए और इसकी घोषणा भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार-बार की है। ये बातें बलिदान माँगती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि केवल बलिदान की कहानियाँ पढ़ने से क्रांति नहीं आती, इसके लिए हर अहमदी महिला को हाजिरा बनना पड़ेगा और हर अहमदी युवा को इस्माईल बनना पड़ेगा और हर देश और हर समुदाय और हर नस्ल का हर अहमदी को यह मानक दिखाना होगा, तभी हम दुनिया में एकता पैदा कर सकते हैं।"

(खुल्वा जुमअः, 31 जुलाई 2020)

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने अहमदिया ख़िलाफ़त के शताब्दी समारोह के अवसर पर वैश्विक अहमदिया जमाअत के नाम एक ज्ञानवर्धक संदेश प्रदान किया जिसमें फ़रमाया:

यह खुदा तआला की नियति है। यह उसी अल्लाह का वादा है जो कभी झूठा वादा नहीं करता कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वे प्यारे जो आपके आदेश के अधीन दूसरी शक्ति (ख़िलाफ़त) से चिपके हुए

हैं, उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त करना है क्योंकि अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह हमारे साथ है। आज इस शक्ति (ख़िलाफ़त) को सौ साल हो रहे हैं और हर दिन नए ढंग से हम इस वादे को पूरा होते देख रहे हैं... इसलिए, हर अहमदी का कर्तव्य है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को दूसरी शक्ति (ख़िलाफ़त) से चिपककर अपनी सारी क्षमताओं के साथ पूरा करने का प्रयास करे। आज इस मसीह मुहम्मदी के मिशन को दुनिया में स्थापित करने और एकता की डोर में पिरोए जाने का हल केवल और केवल अहमदिया ख़िलाफ़त से जुड़े रहने में है और इसी के द्वारा अल्लाह वालों को दुनिया में एक क्रांति लानी है। अल्लाह तआला हर अहमदी को मज़बूत ईमान के साथ इस सुंदर सच्चाई को दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुँचाने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन।

(खिताबात, इमामे जमाअत अहमदियह आलमगीर हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब, ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़, पृष्ठ 18-20, प्रकाशक: इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशन्स, यूके)

अहमदियों को संबोधन

राष्ट्रीय एकता के संबंध में हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ ने कई बार अहमदियों को विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाया है। निम्नलिखित उन उद्गारों में से कुछ महत्वपूर्ण सलाहें प्रस्तुत हैं:

जमाअत और एकजुटता: एक जमाअत (समुदाय) होने में यही बरकत है कि एक इकाई स्थापित हो, एकता स्थापित हो और यही उद्देश्य है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का और यही उद्देश्य था महदी मौऊद के आने का कि मुसलमानों को एक हाथ पर इकट्ठा करें। एक उम्मह बनाएँ।

(खुल्वा जुमअः, 26 अक्टूबर 2018)

जमाअत और एकता: अल्लाह तआला का हाथ जमाअत पर होता है और यही बात हमें हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के कथनों में भी मिलती है। और जब तक यह एकता स्थापित नहीं होगी, न अल्लाह तआला मिलेगा न दूसरी सफलताएँ मिल सकेंगी। अल्लाह तआला भी उन्हीं को मिलता है, एकेश्वरवाद की सही समझ भी उन्हीं को होती है जिनमें एकता होती है।

(खुल्वा जुमअः, 5 दिसंबर 2014)

बा-जमाअत नमाज़ और एकता

आपस में मिलते-जुलते हैं तो बेशक असर होता है, लेकिन यह तो उन लोगों के लिए है जो ईमान में बिल्कुल कमजोर हैं, लेकिन सच्चा ईमान तो यही है कि पाँचों वक़्त की नमाज़ के लिए मस्जिद में आओ। जबकि अल्लाह तआला ने आपको यह मस्जिद प्रदान कर दी है तो आप लोगों को इकट्ठा होकर इस एकता का नज़ारा भी यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए।

(खुल्वा जुमअः, 11 अक्टूबर 2019)

इस युग में अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सच्चे सेवक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हमें इबादतों और नमाज़ों की सही समझ पैदा करने की ओर मार्गदर्शन दिया। इसलिए यदि हम एक ओर तो यह दावा करें कि हमने अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सुधार और एकता की स्थापना के लिए हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सच्चे सेवक और मसीह मौऊद और महदी मौऊद को मान लिया है।

(खुल्वा जुमअः, 20 जनवरी 2017)

शेष आगे ..



## इस्लाम में न्याय और निष्पक्षता की शिक्षाएँ

(मुहम्मद आरिफ रब्बानी साहब मुरब्बी सिल्सिला)

निश्चय ही शांति और न्याय को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। यह वह सिद्धांत है जिसे संसार के सभी बुद्धिमान और ज्ञानी लोग समझते हैं। वास्तव में, बिगाड़ पैदा करने वालों के सिवा कोई भी यह कभी नहीं कह सकता कि किसी समाज, देश या विश्व में न्याय स्थापित होने के बावजूद अशांति हो सकती है। तथापि, हमें विश्व के बहुत से भागों में शांति का अभाव और अशांति दिखाई देती है। यह असुरक्षा और अशांति विभिन्न देशों में आंतरिक रूप से भी पाई जाती है और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों के संदर्भ में बाह्य रूप से भी विद्यमान है, यद्यपि सरकारें न्याय पर आधारित नीतियाँ बनाने का दावा करती हैं। इसके रहते हुए भी कि सभी शांति स्थापना को अपना प्राथमिक लक्ष्य घोषित करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सामान्य रूप से संसार में बेचैनी और अशांति बढ़ रही है और उपद्रव तथा अशांति फैल रही है। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं न्याय की माँगों का उल्लंघन हो रहा है। अतः इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि जब भी और जहाँ कहीं भी अन्याय पाया जाए, तो उसका निवारण किया जाए।

(वैश्विक संकट और शांति का मार्ग पृष्ठ 73)

न्याय और इंसाफ को इस्लामी शिक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण घोषित करते हुए, इसकी स्थापना पर बहुत बल दिया गया है और न्याय का दायरा अत्यंत व्यापक है जिसका विस्तार एक व्यक्ति से लेकर समाज, बल्कि संपूर्ण मानवता तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा गुण है जिससे ब्रह्मांड का पालनहार स्वयं सुसज्जित है, अर्थात् वह न्यायकारी है और न्याय को पसंद करता है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला का कथन है: "और अल्लाह न्यायपूर्वक फैसला करता है।" अर्थात् अल्लाह तआला प्रत्येक बात का निर्णय सत्य और न्याय के साथ करता है। इसी प्रकार, इस्लाम के संस्थापक आदरणीय आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने अपने सभी मामलों में न्याय करने का आदेश दिया: "और यदि तुम निर्णय करो तो उनके बीच न्यायपूर्वक निर्णय करो। निश्चय ही अल्लाह न्याय करने वालों से प्रेम करता है।" (सूर: अल्-मायदा, आयत 43) अर्थात् (यदि झूठे और दुराचारी लोग भी तुम्हारे पास कोई विवाद लेकर आएँ तो) और यदि तुम निर्णय करो तो (हमारी सीख याद रखकर) उनके बीच न्यायपूर्वक निर्णय करो। अल्लाह निश्चित रूप से न्याय करने वालों से प्रेम करता है। और फिर स्वयं आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पवित्र मुख से यह बात प्रकट कर दी गई: "और मुझे आदेश दिया गया है कि मैं तुम्हारे बीच न्यायपूर्वक निर्णय करूँ।" (सूर: अश-शूरा, आयत 16) अर्थात् अल्लाह तआला ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारे बीच न्याय पर आधारित मामलों का निपटारा करूँ।

इन कुरआनी निर्देशों के प्रकाश में, हमारे स्वामी एवं आक्रा आदरणीय मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने प्रत्येक कदम पर और प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने की न केवल ज़ोरदार शिक्षा दी, बल्कि संपूर्ण जीवन इसका व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करके अपनी उम्मत (समुदाय) को न्याय करना सिखाया। एक परंपरा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "जिस दिन अल्लाह तआला की छाया के सिवा कोई छाया नहीं होगी, उस दिन अल्लाह तआला सात व्यक्तियों को अपनी दया की छाया में स्थान देगा।" इन भाग्यशाली व्यक्तियों की गिनती करते हुए सबसे पहले न्यायप्रिय इमाम (शासक) का ही नाम आदरणीय आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने लिया। इस बात से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि

वसल्लम के निकट न्याय के महत्व का भली-भाँति अनुमान होता है।

(सहीह मुस्लिम)

न्याय का गुण आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की स्वस्थ प्रकृति का एक अनिवार्य अंग था। जिसकी पुष्टि उस समय भी हुई जब कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पैगंबरी का दावा भी नहीं किया था। अतः परंपरा में आता है: साइब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि अज्ञानता के काल में जब काबा के पुनर्निर्माण का कार्य हुआ तो वह उसमें शामिल थे। इस दौरान जब हज़र-ए-असवद (काला पत्थर) को उसके स्थान पर रखने का समय आया तो कुरैश के विभिन्न कबीले आपस में विवाद करने लगे कि हम यह पत्थर अपने स्थान पर रखेंगे। अंततः मध्यस्थ के फैसले पर सहमति बनी और उन्होंने कहा कि सबसे पहला व्यक्ति जो सुबह आएगा, वह मध्यस्थ होगा। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो सभी लोगों ने कहा: "अमीन (विश्वसनीय) आ गए।" और आपके सामने मामला प्रस्तुत किया गया। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़र-ए-असवद को एक कपड़े में रख दिया और कुरैश के विभिन्न कबीलों के सरदारों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उन्होंने उस कपड़े को सभी ओर से पकड़ा और उसे उसके स्थान तक ले गए। फिर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हज़र-ए-असवद को उठाकर उसके वास्तविक स्थान पर रख दिया।

(मसनद अहमद खंड 3, पृष्ठ 46, प्रकाशन बैरूत)

अतः इन परंपराओं से स्पष्ट है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सृष्टि में सबसे अधिक न्याय करने वाले व्यक्ति थे। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न केवल न्याय करने की शिक्षा दी, बल्कि इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी स्थापित किए।

खुदा तआला के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं और पवित्र शक्ति का ही प्रभाव था कि धर्मनिष्ठ खलीफ़ाओं और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सहाबा (साथियों) ने जिस प्रकार का सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली मानव जाति के सामने प्रस्तुत की, उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती।

इस्लाम की पुनर्जागरण और न्याय की स्थापना

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अपनी उम्मत के गुमराह हो जाने की सूचना भी दी थी, तथापि इसके साथ यह शुभ सूचना भी सुनाई थी कि अंधकार के उस समय मेरा महदी (मार्गदर्शक) भेजा जाएगा और वह इस उम्मत के सुधार का दायित्व उठाएगा। इस इमाम महदी के लिए विशेष रूप से "न्यायप्रिय शासक" के गुण बताए। इन भविष्यवाणियों के ठीक अनुसार चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब कादियानी ने महदावत (मार्गदर्शक होने) का दावा किया और अन्य सुधारात्मक कार्यों के साथ-साथ न्याय भी स्थापित किया। इस संदर्भ में आपने यहाँ तक फ़रमाया: "अल्लाह तआला कभी-कभी न्याय-प्रिय काफ़िर को अत्याचारी मुसलमान के मुकाबले में पसंद करता है।" (मल्फूज़ात खंड 4, पृष्ठ 249, टिप्पणी)

इसी प्रकार आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं: "सभी शक्तियों का राजा न्याय है; यदि यह शक्ति ही मनुष्य में नहीं है तो फिर सबसे वंचित होना पड़ता है।" (मल्फूज़ात खंड 3, पृष्ठ 34)

एक अन्य अवसर पर फ़रमाया: "यह बिल्कुल सच्ची बात है कि अल्लाह तआला का किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं है। अल्लाह तआला स्वयं न्याय है और न्याय को मिला रखता है। वह स्वयं न्याय है और

न्याय को मिला रखता है, इसलिए बाहरी संबंधों की परवाह नहीं करता। जो पवित्रता का ध्यान रखता है, उसे वह अपनी कृपा से बचाता है और उसका साथ देता है।"

(मल्फूज़ात खंड 2, पृष्ठ 310, संस्करण 2010)

इसी प्रकार आपका एक और कथन है कि "जितना कोई व्यक्ति न्याय को अपनाता है, उतना ही प्रबुद्ध विवेक वाला हो जाता है।" (मल्फूज़ात खंड 5, पृष्ठ 531, संस्करण 2010)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने केवल उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि न्याय और सच्ची गवाही का शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस संबंध में केवल मसीह होने के दावे के बाद के जीवन में ही घटनाएँ घटित नहीं हुईं, बल्कि पहले के जीवन में, जो किसी भी अल्लाह के भेजे हुए की सच्चाई पर एक गवाह होता है, में भी ऐसी घटनाएँ मिलती हैं कि आप कुरआनी शिक्षाओं के ठीक अनुसार सदैव न्याय के साथ सच्ची गवाही के लिए खड़े रहे। इस बारे में हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनसिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं:

"जिस इमाम को हमने माना है, उसने कुरआनी आदेशों पर चलते हुए ऐसी मिसालें कायम की हैं जो बाहरी लोगों को भी अचंभित कर देती हैं। इसलिए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से बहुत पहले युवावस्था के समय की एक घटना परंपराओं में आती है कि एक बार अपने पिता के किसानों के विरुद्ध एक मुकदमे में आप पेश हुए और सत्य तथा न्याय की माँगें पूरी करते हुए सही बात कही, जिसका लाभ किसानों को हुआ और उनके पिता का नुकसान हुआ। आपके वकील ने आपको पहले भी कहा था कि जिस प्रकार मैं कहता हूँ, यदि इस प्रकार गवाही न दी तो नुकसान होगा। आपने फ़रमाया कि जो भी हो, जो सही बात है, मैं तो वही बताऊँगा। तो, अंततः न्यायाधीश ने किसानों के पक्ष में निर्णय दे दिया और देखने वाले बताते हैं कि मुकदमा हारने के बाद, जब आपके विरुद्ध फैसला हो गया और आप अदालत से वापस हुए, तो उस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक वापस आ रहे थे कि जिन लोगों को इस फैसले का पता नहीं था, वे समझे कि शायद आप मुकदमा जीतकर वापस आ रहे हैं।"

(स्रोत: तारीख-ए-अहमदियत खंड 1, पृष्ठ 72-73; आईना-ए-कमालात-ए-इस्लाम, रूहानी खज़ायन खंड 5, पृष्ठ 298, के संदर्भ से, खुल्बा जुमअ: 10 नवंबर 2017)

इस्लाम में, न्याय के संदर्भ में, मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत इकाई से लेकर विस्तृत मानव समाज और अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक में ऐसी शिक्षाएँ, सिद्धांत और उदाहरण प्रकाश के समान स्पष्ट हैं कि इसकी कहीं कोई तुलना नहीं मिलती। पवित्र कुरआन ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक पहलू से न्याय स्थापना का विस्तृत ज्ञान दिया है। पवित्र कुरआन में अनेक स्थानों पर विभिन्न ढंग से इस आदेश का उल्लेख मिलता है। इनमें से न्याय के साथ सीधा संबंध रखने वाली पवित्र कुरआन की कुछ मौलिक और सैद्धांतिक शिक्षाएँ, जिनमें न्याय का विषय बहुत स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया है, और फिर इसकी व्यावहारिक व्याख्या आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदर्श चरित्र, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और धर्मनिष्ठ खलीफ़ाओं के कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित है:

मानव जीवन के सभी क्षेत्रों और मामलों में पूर्ण न्याय की सामान्य शिक्षा

संसार में न्याय स्थापित करने का एक ही साधन है कि अल्लाह तआला की प्रसन्नता ही लक्ष्य हो। इसके अतिरिक्त वह उच्च स्तर कभी स्थापित ही नहीं हो सकता जो संसार से अन्याय और व्यक्तिगत लालसाओं की प्राप्ति को समाप्त कर सके। अतः इसी सिद्धांत को व्यक्त करते हुए अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में फ़रमाता है: "ऐ वे लोग जो ईमान लाए

हो! अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए न्याय पर दृढ़ रहने वाले बनो, चाहे (गवाही) स्वयं अपने विरुद्ध ही क्यों न हो या माता-पिता और निकट संबंधियों के विरुद्ध। चाहे वह धनी हो या निर्धन, अल्लाह उन दोनों का अधिक ध्यान रखने वाला है। अतः तुम अपनी इच्छाओं का अनुसरण न करो कि कहीं न्याय न कर सको। और यदि तुम (गवाही में) टेढ़े रहो या (गवाही देने से) मुकर जाओ, तो निश्चय ही अल्लाह उससे भली-भाँति अवगत है जो तुम करते हो।"

(सूर: अन-निसा, आयत 136)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि: "सत्य और न्याय पर दृढ़ हो जाओ। और चाहिए कि तुम्हारी प्रत्येक गवाही अल्लाह के लिए हो।"

(इस्लामी सिद्धांतों का दर्शन, रूहानी खज़ायन खंड 10, पृष्ठ 361)

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने मुसलमानों को यह शिक्षा दी कि न्याय तो एक साधारण और छोटे दर्जे की भलाई है, बल्कि यह आदेश दिया कि न्याय से बढ़कर उपकार का व्यवहार करो, अर्थात् जिन्होंने तुम्हारे साथ कोई भलाई नहीं की है, उनके साथ भी भलाई करो, बल्कि उससे भी बढ़कर पूर्ण भलाई करो, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ भलाई करती है। अतः फ़रमाया:

"निश्चय ही अल्लाह न्याय का और भलाई का और संबंधियों को देने का आदेश देता है और बुराई और नापसंदीदा बातों और अत्याचार से मना करता है। वह तुम्हें शिक्षा देता है, ताकि तुम शिक्षा ग्रहण करो।"

(सूर: अन-नहल, आयत 91)

इस आयत की व्याख्या में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि: "अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? बस यही कि तुम संपूर्ण मानव जाति के साथ न्याय का व्यवहार करो। फिर इससे बढ़कर यह है कि उनके साथ भी भलाई करो जिन्होंने तुमसे कोई भलाई नहीं की। फिर इससे बढ़कर यह है कि तुम अल्लाह की सृष्टि के साथ ऐसी सहानुभूति के साथ पेश आओ कि मानो तुम उनके वास्तविक संबंधी हो, जैसा कि माताएँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती हैं..... अतः नेकियों का अंतिम दर्जा प्राकृतिक उत्साह है जो माँ के समान हो।"

(किशती-ए-नूह, रूहानी खज़ायन खंड 19, पृष्ठ 30)

साथ ही फ़रमाया: "अल्लाह आदेश देता है कि संपूर्ण संसार के साथ तुम न्याय करो, अर्थात् जितना अधिकार है, उतना ही लो और न्यायपूर्वक मानव जाति के साथ व्यवहार करो। और इससे बढ़कर यह आदेश है कि तुम मानव जाति के साथ उपकार करो, अर्थात् वह व्यवहार करो जिसका करना तुम पर अनिवार्य नहीं है, केवल शिष्टता है। परंतु चूँकि उपकार में भी एक दोष छिपा है कि उपकार करने वाला कभी नाराज होकर अपने उपकार को याद भी दिला देता है, इसलिए इस आयत के अंत में फ़रमाया कि पूर्ण भलाई यह है कि तुम अपनी मानव जाति के साथ इस प्रकार भलाई करो जैसे माँ अपने बच्चे के साथ भलाई करती है, क्योंकि वह भलाई केवल प्राकृतिक उत्साह से होती है, न कि किसी बदले की इच्छा से। मन में यह इरादा नहीं होता कि यह बच्चा इस भलाई के बदले मुझे भी कुछ देगा। अतः वह भलाई जो मानव जाति के साथ की जाती है, उसका पूर्ण दर्जा यह तीसरा दर्जा है जो 'संबंधियों को देने' के शब्द से व्यक्त किया गया है।"

(चश्मा-ए-मारिफत, रूहानी खज़ायन खंड 23, पृष्ठ 388, के

संदर्भ से, तफ़सीर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खंड 5, पृष्ठ 84)

अल्लाह तआला के साथ न्याय के संबंध में इस्लामी शिक्षा

एक खुदा के साथ किसी भी पहलू से किसी और को साझीदार ठहराना न्याय के विरुद्ध है और यह न्याय का धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहलू है जिस पर इस्लाम में बहुत बल दिया गया है। हमें अल्लाह तआला के साथ भी अत्याचार न करने का आदेश दिया गया है कि अल्लाह तआला के साथ

न्याय करो और अत्याचार न करो। अब अल्लाह तआला के साथ कौन अत्याचार कर सकता है? हमारे यहाँ अत्याचार का अर्थ सीमित है, क्योंकि हम अत्याचार का अर्थ यह लेते हैं कि किसी के साथ ज़्यादाती या अन्याय का व्यवहार किया जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इसे व्यापक अर्थ में बयान किया है। अल्लाह तआला के साथ न्याय क्या है, इसके बारे में पवित्र कुरआन की यह आयत अवतरित हुई: "जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को अत्याचार के साथ मिलाया नहीं, उन्हीं के लिए सुरक्षा है और वही मार्गदर्शित हैं।" (सूर: अल्-अनआम, आयत 82) इस आयत की व्याख्या स्वयं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसलिए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब यह आयत अवतरित हुई: "जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को अत्याचार के साथ मिलाया नहीं", तो सहाबा को यह मामला बहुत कठिन लगा और उन्होंने कहा: "हममें कौन होगा जो अत्याचार नहीं करता?" नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसका अर्थ वह नहीं है जो तुम समझते हो, बल्कि इसका अर्थ लुकमान अलैहिस्सलाम के उस कथन में है जो उन्होंने अपने पुत्र से कहा था: "हे मेरे पुत्र! अल्लाह के साथ किसी को साझीदार न ठहराना। निश्चय ही साझी ठहराना बहुत बड़ा अत्याचार है।"

(सहीह बुखारी, हदीस संख्या: 6937)  
सामाजिक न्याय

इस्लाम ने सामाजिक न्याय पर भी बहुत बल दिया है और इसे इस प्रकार स्थापित किया है कि संसार का कोई अन्य धर्म इस पहलू से कोई तुलना नहीं रखता। सामाजिक न्याय की माँग है कि माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनके उपकारों के बदले में कम से कम उनके साथ उपकार का व्यवहार किया जाए। उनके सभी अधिकार न्यायपूर्वक अदा किए जाएँ, जिसकी पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने अनेक स्थानों पर ज़ोर दिया है, जैसा कि फ़रमाया: "और तेरे रब ने इस बात का आदेश दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की उपासना न करो और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो।"

(सूर: बनी इसराईल, आयत 24)

माता-पिता चाहे गैर-मुस्लिम ही क्यों न हों, एक मुसलमान को अपने माता-पिता के साथ प्रत्येक स्थिति में अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है।

शासन, न्यायपालिका और प्रशासनिक मामलों के संबंध में न्याय की शिक्षा

इस्लाम ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और मामले में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो या कानूनी, प्रत्येक स्थिति में न्याय को ध्यान में रखने की शिक्षा दी है, ताकि एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना संभव हो सके, जिसमें शांति, एकता, आपसी सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षा प्राप्त हो। अतः फ़रमाया:

"निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि तुम अमानतों उनके स्वामियों को सौंप दो और जब तुम लोगों के बीच निर्णय करो तो न्यायपूर्वक निर्णय करो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हें उत्तम शिक्षा देता है। निश्चय ही अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है।"

(सूर: अन-निसा, आयत 59)

किसी भी राष्ट्र का कार्य समाज में संतुलन और न्याय स्थापित करना है और यह न्याय के बिना संभव नहीं है। राजनैतिक न्याय यह है कि राज्य के राजनैतिक संस्थानों में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हों। प्रजा और नागरिकों के साथ न्याय पर आधारित समान व्यवहार हो। कानून की दृष्टि में सब समान हों। छोटे-बड़े, धनी-निर्धन में भेदभाव न हो। यही न्याय की माँग है। इस दृष्टि से भी इस्लामी शिक्षा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम का आदर्श चरित्र अतुलनीय है। अतः पवित्र कुरआन ने न्यायपालिका, शासकों और प्रशासनिक मामलों के ज़िम्मेदारों को स्पष्ट रूप से न्याय की शिक्षा का आदेश देते हुए फ़रमाया कि:

"और जब तुम लोगों के बीच निर्णय करो तो न्यायपूर्वक निर्णय करो।" नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का श्रेष्ठ आदर्श चरित्र इस कुरआनी आदेश की व्यावहारिक व्याख्या है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मदीना पधारने से पहले यहूदियों के कबीले बनू नज़ीर और बनू कुरैज़ा में से बनू नज़ीर अधिक सम्मानित समझे जाते थे। इसलिए, जब बनू कुरैज़ा का कोई व्यक्ति बनू नज़ीर के किसी व्यक्ति को मार देता था तो बदले में मार दिया जाता था और जब बनू नज़ीर का कोई व्यक्ति बनू कुरैज़ा के किसी व्यक्ति को मार देता था तो उसकी दिया (हत्या का मुआवजा) सौ बोरी खज़ूर अदा कर दी जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मदीना पधारने के बाद एक नज़ीरी ने कुरैज़ी को मार डाला तो बनू कुरैज़ा ने बदले में मारने की माँग की और अपना मध्यस्थ नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को नियुक्त किया और आपकी सेवा में उपस्थित हुए तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अज्ञानता के तरीके के विपरीत इस कुरआनी कथन पर अमल फ़रमाया: "और यदि तुम निर्णय करो तो उनके बीच न्यायपूर्वक निर्णय करो।" (सूर: अल्-मायदा, आयत 43) इसलिए, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जान के बदले जान का फैसला फ़रमाया।

(अबू दाऊद, किताबुद दिय्यात, अध्याय: जान के बदले जान)

बुखारी की एक परंपरा में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के न्याय का एक और वृत्तांत दर्ज है कि "एक बार एक यहूदी ने एक लड़की के बहुमूल्य गहने देखकर उसका सिर पत्थर से कुचल कर मार डाला। मारी गई लड़की को नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, उसमें कुछ जान बाकी थी। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उससे एक व्यक्ति का नाम लेकर पूछा कि क्या फलाँ ने तुम्हें मारा है? उसने सिर के इशारे से कहा कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दूसरे का नाम लिया तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तीसरे यहूदी व्यक्ति का नाम लिया तो उसने सिर हिलाकर स्वीकृति में उत्तर दिया। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को बुलाकर पूछा तो उसने हत्या स्वीकार कर ली। इसलिए, उस व्यक्ति को बदले में मार दिया गया।"

(बुखारी, किताबुद दिय्यात, अध्याय: पत्थर से बदला लेना)

इस परंपरा से यह भी सिद्ध होता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बिना पूरी जाँच किए और बिना किसी को दोषी सिद्ध किए किसी को दंड नहीं देते थे। बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पूर्ण न्याय करने वाले थे और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिए आपकी उम्मत के लिए यही शिक्षा और आदर्श है।

इसी प्रकार की एक अन्य परंपरा में आता है: हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वर्णन है कि (एक बार) कुरैशी सहाबा एक मरज़ूमि (एक कबीले) की स्त्री के विषय में बहुत चिंतित थे जिसने चोरी की थी (और लोगों से उधार) सामान लेकर इन्कार भी जाती थी और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का आदेश दिया था। इन कुरैशी सहाबा ने आपस में यह परामर्श किया कि इस स्त्री के मुकदमे में कौन व्यक्ति आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बात (अर्थात् सिफारिश) कर सकता है? और फिर उन्होंने कहा कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद से नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को बहुत प्रेम और लगाव है, इसलिए इस विषय में आपसे कुछ कहने का साहस उसामा के अतिरिक्त किसी और को नहीं हो सकता (इसलिए उन सभी ने हज़रत उसामा को इस बात के लिए तैयार किया कि वह इस स्त्री के विषय में आँहज़रत सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम से बात करें)। हज़रत उसामा ने (उन लोगों के कहने पर) आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बात की। नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने (उनकी बात सुनकर) फ़रमाया: "क्या तुम अल्लाह की सीमाओं में से एक सीमा के विषय में सिफारिश करते हो?" और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खड़े हुए, भाषण दिया और (प्रशंसा के बाद इस भाषण में) फ़रमाया: "तुमसे पहले के लोगों को इसी चीज़ ने नष्ट किया कि उनमें से कोई सम्मानित व्यक्ति (अर्थात् सांसारिक प्रतिष्ठा और शक्ति वाला) चोरी करता तो वे उसे (दंड दिए बिना) छोड़ देते थे और यदि उनमें से कोई कमज़ोर और गरीब व्यक्ति चोरी करता तो दंड देते थे। अल्लाह की शपथ! यदि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पुत्री फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूँगा।" (बुखारी और मुस्लिम) और मुस्लिम की एक परंपरा में इस प्रकार है कि हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया: एक मख़ज़ूमी स्त्री (की यह आदत) थी कि वह लोगों से उधार कोई चीज़ लेती और फिर उससे इन्कार कर देती थी। इसलिए, नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काट डालने का आदेश दे दिया (जब) इस स्त्री के संबंधियों (को इसका पता चला तो वे) हज़रत उसामा के पास आए और उनसे इस विषय में बात की (कि वह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें) और फिर हज़रत उसामा ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से इसके विषय में निवेदन किया। इसके बाद हदीस के वही शब्द उल्लिखित हैं जो ऊपर वाली हदीस में वर्णित किए गए हैं।

(मिशकातुल मसाबीह - सीमाओं के मुकदमे में सिफारिश का वर्णन - हदीस संख्या 3568)

फिर सूर: मायदा में अल्लाह तआला दुश्मनों से भी न्याय की ज़ोरदार शिक्षा देते हुए फ़रमाता है:

"ऐ वे लोग जो ईमान लाए हो! अल्लाह के लिए दृढ़ता से खड़े रहने वाले, न्याय के साक्षी बनो। किसी समुदाय की शत्रुता तुम्हें कदापि इस बात पर उकसाए कि तुम न्याय न करो। न्याय करो, यह धर्मपरायणता के अधिक निकट है। और अल्लाह से डरो। निश्चय ही अल्लाह उससे भली-भाँति अवगत है जो तुम करते हो।" (सूर: अल्-मायदा, आयत : 9)

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने केवल यहूदियों या अन्य धर्मों के लोगों के बीच ही न्यायपूर्ण फैसले जारी नहीं किए, बल्कि यदि किसी यहूदी या किसी अन्य धर्म या समुदाय के व्यक्ति का किसी मुसलमान के साथ भी कभी कोई विवाद होता तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूर्ण न्याय किया और कुरआन की आयत "और किसी समुदाय की शत्रुता तुम्हें कदापि इस बात पर उकसाए कि तुम न्याय न करो। न्याय करो, यह धर्मपरायणता के अधिक निकट है।" पर अमल करते हुए स्थायी संसार के लिए एक पूर्ण आदर्श छोड़ा है। इसलिए, "अब्दुल्लाह बिन अबी हदरद अल्-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन करते हैं कि एक यहूदी का उनके ऊपर चार दिरहम उधार था जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। उस यहूदी ने आकर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इस व्यक्ति के ऊपर मेरे चार दिरहम हैं और यह मुझे अदा नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि इस यहूदी का अधिकार लौटा दो। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने निवेदन किया: उस सत्ता की शपथ जिसने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को सत्य के साथ भेजा है, मुझे ऋण अदा करने की शक्ति नहीं है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दोबारा फ़रमाया: 'इसका अधिकार इसे लौटा दो।' अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वही कारण बताया और कहा कि मैंने उसे बता दिया है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हमें खैबर भेजेंगे और लूट के माल में से कुछ भाग देंगे तो वापस आकर मैं इसका ऋण चुका दूँगा। आप सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: 'अभी इसका अधिकार अदा करो।' नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जब कोई बात तीन बार फरमा देते थे तो वह अंतिम फैसला समझा जाता था। इसलिए, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु उसी समय वहाँ से बाज़ार गए। उन्होंने एक चादर लंगोट के रूप में बाँध रखी थी। सिर का कपड़ा उतारकर लंगोट के स्थान पर बाँधा और चादर चार दिरहम में बेचकर ऋण अदा कर दिया। इतने में वहाँ से एक बूढ़ी महिला गुज़री। वह बोली: 'ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथी! आपको क्या हुआ?' अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा वृत्तांत सुनाया तो उसने उसी समय अपनी चादर जो ओढ़ रखी थी, उन्हें दे दी और इस प्रकार आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के न्यायपूर्ण फैसले की बरकत से दोनों पक्षों का भला हो गया।"

(मसनद अहमद खंड : 3, पृष्ठ संख्या 42)

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस्लाम की न्याय की शिक्षा इस्लाम राष्ट्रीय मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी न्याय को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में अपनाने की शिक्षा देता है। इस्लाम में इस बात पर बल दिया गया है कि अपने समुदाय का गर्व भी न्याय से विचलित न करे और दूसरे समुदाय की शत्रुता भी न्याय से विमुख न करे। जैसा कि फ़रमाया: "किसी समुदाय की शत्रुता तुम्हें कदापि इस बात पर उकसाए कि तुम न्याय न करो। न्याय करो, यह धर्मपरायणता के अधिक निकट है।"

शेष ..



### पृष्ठ 1 संपादकीय का शेष

और केवल निस्वार्थ प्रेम ही इसे विकसित कर सकता है। और निस्वार्थ प्रेम केवल और केवल शुद्ध आध्यात्मिकता से ही प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए हमारे धर्मों में अत्यधिक संपदा उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक धर्म के बुद्धिजीवी प्रेम और एकता की इस बहुमूल्य संपदा को अपनी पवित्र धार्मिक पुस्तकों से निकालकर जनता के सामने प्रस्तुत करें। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

"अल्-खल्कु ईयालुल्लाहि फ़ा अहब्बुल खल्कि इलल्लाहि मन अहसना इला ईयालिही"

(सभी सृष्टि अल्लाह का परिवार है और अल्लाह के निकट वह सबसे अधिक प्रिय है जो उसके परिवार के साथ भलाई करे।)(बैहकी फ़ी शुअब अल्-ईमान, मिशकात बाब अश-शफ़का वर-रहमा अला अल्-खल्क, हदीक़तुस सालेहीन के संदर्भ से) (हदीस नंबर 712)

अंत में, अहमदिया जमाअत के संस्थापक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इमाम मेहदी और मसीह मौऊद के पवित्र वचनों पर इस चर्चा को समाप्त किया जाता है।

"मैं पूर्ण आदर और विनम्रता के साथ मुसलमानों और ईसाइयों के विद्वानों तथा भारत के हिंदू और आर्य पंडितों के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करता हूँ और सूचित करता हूँ कि मुझे नैतिक, आस्थागत और विश्वास संबंधी कमजोरियों एवं त्रुटियों के सुधार के लिए दुनिया में भेजा गया है ... मैं इस बात का विरोधी हूँ कि धर्म के लिए तलवार उठाई जाए और मजहब के लिए खुदा के बंदों का खून किया जाए ... मैं सभी मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं और आर्यों के सामने यह बात प्रकट करता हूँ कि दुनिया में कोई मेरा शत्रु नहीं है। मैं समस्त मानव जाति से उस प्रकार प्रेम करता हूँ जैसे एक दयालु माता अपने बच्चों से, बल्कि उससे भी अधिक ... मनुष्य की हमदर्दी मेरा कर्तव्य है और झूठ, मूर्तिपूजा, अत्याचार तथा प्रत्येक बुरे कर्म, अन्याय और दुराचार से विमुखता मेरा सिद्धांत है।" (अर्बईन पृष्ठ 1-2)





59वें जलसा सालाना यूके के अवसर पर तिथि 27 जुलाई 2025 ई. को वैश्विक बैअत समारोह का ईमान वर्धक दृश्य 111 देशों के 500 से अधिक कौमो के लोग और 2,44,408 ऑनलाइन दर्शक इस प्रेम की माला मे पिरोए गए



जलसा सालाना यू.के. 2025 के अवसर हज़रत अमीरुल मोमेनीन खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़ खिताब फ़रमाते हुए।



जलसा सालाना यूके 2025 का एक दृश्य

**EDITOR**

**Sub Editor**

Mobile : +919915379255  
E-mail :  
badrqadian@rediffmail.com  
Website : www.akhbarbadr.in  
: www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553

**Weekly BADAR Qadian**

Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol. Thursday 18 - 25 - December - 2025 Issue.  
Post Reg. No. GDP/45/2023-25-Vol.8 19-26 December 2025 issue no 51-52

**ACT. MANAGER**

**ATHAR AHMAD SHAMIM**

MOBILE No. +91-9815639670  
e-mail: managerbadrqnd@gmail.com

**ANNUAL SUBSCRIPTION**

RS 600/-

**PER ISSUE**

RS 10

**WEIGHT- 20-50 GMS/ISSUE**

## इस्लाम समस्त धर्मों की इबादत-गाहों का संरक्षक है

खुदा तआला यह प्रकट करता है कि इन समस्त इबादत-गाहों का मैं ही समर्थक हूँ और इस्लाम का कर्तव्य है कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी ईसाई देश पर कब्ज़ा करे तो उन के उपासनागृहों (गिरजों) में कुछ रोक न डालें और आदेश देकर मना कर दे कि उनके गिरजे ध्वस्त न किए जाएँ और यही निर्देश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ज्ञात होता है क्योंकि हदीसों से मालूम होता है कि जब कोई इस्लामी सेनापति किसी क्रौम के मुक़ाबले के लिए नियुक्त होता था तो उसे यह आदेश दिया जाता था कि वह ईसाइयों और यहूदियों के उपासना-गृहों और फ़कीरों के एकान्त गृहों में रोक न डालें। इस से स्पष्ट है कि इस्लाम ईर्ष्या-द्वेष के तरीक़ों से कितना दूर है कि वह ईसाइयों के गिरजों और यहूदियों के उपासना गृहों का ऐसा ही समर्थक है जैसा कि मस्जिदों का समर्थक है।

(चश्मा-ए-मारिफ़त-393-394)

**अतः यह सिद्धान्त अत्यन्त प्रिय और शान्तिदायक  
और मैत्री की बुनियाद डालने वाला है ... कि  
हम उन समस्त नबियों को सच्चा समझ लें जो दुनिया में आए**

अतः यह सिद्धान्त अत्यन्त प्रिय और शान्तिदायक और मैत्री की बुनियाद डालने वाला तथा नैतिक परिस्थितियों को सहायता देने वाला है कि हम उन समस्त नबियों को सच्चा समझ लें जो दुनिया में आए। चाहे हिंदुस्तान में प्रकट हुए या फ़ारस में या चीन में या किसी अन्य देश में। खुदा ने करोड़ों दिलों में उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बैठा दी और उनके धर्म की जड़ स्थापित कर दी तथा कई शताब्दियों तक वह धर्म चला आया। यही सिद्धान्त है जो कुरआनने हमें सिखाया। इसी सिद्धान्त की दृष्टि से हम प्रत्येक धर्म के पेशवा को जिन के जीवन चरित्र इस परिभाषा के अन्तर्गत आ गए हैं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। चाहे वे हिन्दुओं के धर्म के पेशवा हों या फारसियों के धर्म के या चीनियों के धर्म के या यहूदियों के धर्म के या ईसाइयों के धर्म के।

(तोहफ़ा कैसरिया पृष्ठ 7)